साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 5 अंक 24 प्रति सोमवार इंदौर, 30 जनवरी से 5 फरवरी 2012 पृष्ठ 12 मूल्य 2/- रुपए

अमेरिका और यूरोप की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के

सत्ताधीशों, सरकार और जनता को बना देंगी भिखारी

फिर न हिन्दु रहेगा, न मुसलमान रहेगा गुलाम की औलाद है गुलाम रहेगा

राष्ट्र की सत्ताधीश कांग्रेस और उसका यूपिए गिरोह ने रिलायंस, भारती जैसे बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से मोटा चंदा वसूल कर उनके हितों में जनता के शोषण के लिए अनेकों कानून बना दिए हैं। जिसमें १९७२ में बनाया गया आयोडीन नमक कानून जो १९७२ जो टाटा केमिकल्स के लिए फायदे के लिए बना कर पूरे देश का खाद्य नमक मे आयोडीन मिलाकर बेचनें का ठेका सौंप दिया गया और अब एक रुपये का नमक १२ से १५ प्रति किलों रुपये बिक रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए सीड्स एक्ट १९६७ बनाया गया अब बीटी जीएम एचबी बीजों की हर साग सब्जी से लेकर खाद्यानों दालों तिलहनों तक में इन बहुराष्ट्रीय बीजों का ही बोलबाला है। भारतीय खाद्यानों दलहनों तिलहनों से लेकर मसालों तथा मिर्ची धनिया जीरा तथा प्याज लहसुन सब्जियों मे टमाटर आलू भटे गोबी मूली आदि भी सभी

फल तरबूज खरबूज जैसे फसलों के अधिकांश भारतीय मूल प्रजाति के बीजों को पूर्णत: समाप्ति की कगार पर ला खड़ा किया है। वर्षों से कृषि मंत्रालय संभाल रहे मंत्री शरद पवार ने विदेशी कंपनियों के बीजों में मोटा कमीशन डकार कर पूरे देश अनुदान देकर मुफ्त में किसानों से बुआई करवाई अत: अधिकांश अल्पकालिक फसलों के लिए पूर्णत: इन बीजों पर निर्भर हो चुका है। जो आम बीजों से हजारों गुना न केवल महंगे हैं। वरन स्वाद हीन गुणहीन पोष्टिकता की तो दूर विषैले प्रकृति के होने के साथ ही सैंकड़ों प्रकार की बीमारियां भी पैदा कर रहे हैं। बेशक भारी पैदावार अवश्य होती है। पर किसान की लागत भी उसी अनुपात में बढ़ने के साथ भारी पैदावार होने के बाद भी कृषि लाभ का धंधा नहीं बन पाई दूसरी ओर विदेशी कंपनियों पर बढ़ गयी है। जिस जिह बीटी भटे को दुनिया के हर राष्ट्र ने नकार दिया है। वही विषैला भटे की फसल भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। हमारे राष्ट्र की रिलायंस कंपनी जो पेट्रोलियम कपड़े मोबाइल से चलकर साग सब्जियों खाद्यानों फलों आदि के खाद्य पदार्थों पर कब्जा जमाने के लिए उसने अपने पाले हुए सत्ताधीश कांग्रेस और यूपीए के अन्य डकैतों के सामने टुकड़े डालकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम ०६ बनवा लिया ताकि छोटे व्यापारियों को साग सब्जी मिठाई नमकीन व्यपारियों किराना व्यवसायियों चाय नाश्ता ढाबों आदि को संख्या में भारत में २ करोड़ से ज्यादा होगें और लगभग तीन करोड़ को प्रत्यक्ष रोजगार देकर २० करोड़ जनता का जीवन यापन कर रहे हैं को (शेष पेज ४ पर)

अमेरिका और यु.सं. के ईरान पर अनुचित है प्रतिबंध

भारत-चीन हटवायें प्रतिबंध ईरान से

एशिया में अमेरिका और यूरोप की दादागिरी का तुरंत हो अंत

अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह किसी भी राष्ट्र जो उसकी दादागिरी और पाश्विक बदमीजियां नहीं झेलता और मानता तो पहले उसके विरुद्ध किसी भी तथ्य को आधार बनाकर पहले बदनाम करता है। जैसा कि पहले उसने इराक और अफगानिस्तान के साथ किया। बाद में उन्हें नेस्तानाबूद कर दिया, एशिया में २१वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसकी दादागिरी और पाशविक बत्तमीजियों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यथार्थ में ईराक पर परमाणु और रासायनिक अस्त्रों-शस्त्रों के विकास और संग्रहण के आरोप लगाकर बदनाम किया, जबकि उसकी खोटी नियत में इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना ही था, जो उसने ईराक पर आक्रमण कर, लाखों लोगों को गोलियों और बमों से भूनकर किया, सेना ने वहां की स्त्रियों के साथ लगातार ७ वर्षों तक बलात्कार कर अपनी वर्ण संकर औलादें पैदा की, ये मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले ने स्वयं पशविकता का परिचय दिया, लानत न केवलपूरे अमेरिकी प्रशासन जनता के साथ पूरे यूरोपीय संघ के साथ ही पूरे विश्व के सैकड़ों राष्ट्र पर भी है, कि वे सब टुकूर-टुकूर ताकते रहें, ७ वर्ष तक तांडव करता रहा।

उसी नीच मानसिकता और कार्यप्रणाली की पुनरावृत्ति वह ईरान के साथ करना चाहता है, जो पिछले ७ वर्षों से इस ताक में रहकर ईरान के बाहर और भीतर सैकड़ों षडयंत्रों को अंजाम दे चुका है, ये उसके षड्यंत्रों का ही हिस्सा है कि स्वयं के साथ अमेरिका ने पूरे यूरोपीय संघ के साथ उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लाद दिये, आखिर वो दूर अमेरिका से चल कर एशिया में यह तांडव क्यों और कैसे कर लेता है? क्यों भारत, चीन, जापान जैसे राष्ट्र उसकी इस दादागिरी और गुंडागर्दी का विरोध नहीं करते कि वो तेल के खेत में लाखों को गोलियों और बमों से भून देता है। दुनिया के सारे देश उसके तांडव, पाशविकता को देखकर भी ताका करते हैं।

इन बत्तमीज दुनिया के वर्णसंकर अमेरिकियों की निगाह में पिछले ३०-४० वर्षों से ईरान बहुत खटक रहा है। ये मक्कार गिद्धों की फौज उसके तेल पर कब्जा करने के लिये पहले ईरान और ईराक में युद्ध करवाता रहा है। उसमें १९८०-९० के दशक में ईराक जब अमेरिकी सहयोगी था तब इराक की तरफ से अमेरिका और ईरान की तरफ से सोवियत रुस युद्ध में लगे हुए थे, जो १९७८-७९ से लेकर १९८६ तक लगातार ७ वर्ष युद्ध चलता रहा, दोनों ने अपने राष्ट्रों का पुर्नसंरचना कर स्थापित किया ही था कि फिर ईराक और कुवैत युद्ध हुआ, इस बार अमेरिका कुवैत की तरफ से प्रत्यक्ष युद्ध कर रहा था, तब से ठनी हुई थी अमेरिका और ईराक की, जिसका बदला उसने २१वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस पर सीधा हमला करके बदला चुकाया।

पिछले ८-१० वर्षों से ईरान पर अमेरिका तरह-तरह के आरोप लगाकर उसे उकसाने की कार्यवाही करता रहा है, उसके अपने पाले हुए संगठन संयुक्तराष्ट्र का भी इसमें खुलकर उपयोग करता है और अपनी हां में हां मिलाने के लिये नाटो को भी खड़ाकर लेता है। अभी इस क्रम में उसने ईरान के व्यापार और तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर परेशान करना शुरू कर दिया है।

(शेष पेज ५ पर)

क्या 23 दिसंबर से 30 नवम्बर हो गया

30 नवंबर सबसे छोटा दिन था 2011 का

पृथ्वी अपनी धूरी से 6.5 डिग्री सेल्सियस दक्षिण में झुक गई

जापानी सुनामी में वर्ष २०११ में प्रकृति के प्राकृतिक संचालन में इस धरती के सबसे शैतान प्राणी मनुष्य ने अपने स्वार्थों की खातिर जो कर्म किए और कर रहा है, उससे भारी परिवर्तन आए हैं। जो सीधे भले ही समझ में नहीं आ रहे हैं परन्तु दीर्घागामी परिणाम घातक होंगें ही। अभी समग्र मानव जाति का ध्यान बढ़ती हुई वैश्विक उष्णता पर ही टिका हुआ है। जो उसे सीधे ही प्रभावित कर रही है। वैश्विक उष्णता के बढ़ने में अमेरिका व अन्य विकसित राष्ट्र केवल औद्योगिक प्रदूषण वह भी केवल एशियाई देशों का तथा भारत चीन जापन जैसे औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते राष्ट्रों पर लगाकर वास्तविकता में अपने कुकर्मो जैसे युद्ध में फोड़े गए बमों जल और थल में गहरे में फोड़े गए नाभिकीय और परमाणु हाइड्रोजन बमों के बारे में तो कोई बात ही नहीं की जाती, कभी। जबकि २६-१२-०४ को आई इंडोनेशिया थाईलैंड में सुनामी जिसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ा था। और जिससे ४००० से ५००० कि.मी.की गति की लहरों ने एशिया के दक्षिण पूर्वी तटों पर २०से ३० किमों अन्दर तक कहर ढाया था, जिससे आस्ट्रेलिया तक असर फैला था। अमेरिका भले ही उसे सुनामी का नाम देकर पल्ला झाड़े परन्तु प्राकृतिक तरीकों से आए समुद्री तूफानों और लहरों की अधिकतम २५० से ३०० कि.मी. तक होती है। जबकि सुनामी ४-५००० किमी की जो गति आई थी जिसने ६/३० बजे इंडोनेशिया और थाईलैंड में कहर बरपाया था और सात बजे भारत श्रीलंका बांग्लादेश के १८०० किमों किमी समुद्री क्षेत्रों में भी भयानक बाढ़ आ गई थी। ऐसा इतिहास में समुद्र ने कब कहर ढाया था। इतिहास में ये क्षेत्र १००-५० किमी का ही एक दिशा में क्षेत्र रहा है। २.५ लाख वर्ग किमी में प्राकृतिक तरीके से किसी भी तूफान ने तबाही नहीं मचाई समुद्र की लहरे कितनी भी उपर जाएं उससे आग की लपटों की तरह लालिमा तो नहीं आ जाएगी। जब समय माया के संपादक ने ३६ घंटो के अध्धयन और गंभीर सोच के परिणामों को २७-१२-०४ को ०:३० बजे साइटों पर डालकर पूरी दुनिया को भेजा तो तत्काल अमेरिका क्यों डालर के बोरे लेकर राहत के नाम पर दौड़ा यही पेशकश जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की गई तो देश के सामने तो यही बयान दिया गया हमारी क्षति पूर्ती हम अपने साधनों से कर लेंगे जो धन भारत में हुई क्षति पूर्ति के लिए तत्काल दे रहे हो वह धन मेरे और इटालियन अम्मा के खाते मे अमेरिका में ही जमा रहने दो।

११ मार्च २०११ को जापान में आई सुनामी की कहानी भी इसी तरह की थी जिस तरह से भायनक बाढ़ और साथ में ८.३ तीव्रता से भूकंप आया जिससे पृथ्वी ६.५ डिग्री अपनी धरती से खिसक गई यह सब किया धरा चीन का था

(शेष पेज ५ पर)

गीता के देश में, गीता पढ़ाना सांप्रदायिकता

साइबेरिया में प्रतिबंध पर भारत में हल्ला क्यों?

गीता धर्मशास्त्र नहीं जीवन का नीतिशास्त्र है, स्कूली शिक्षा ही सब कुछ नही, बुद्धिजीवी तो कहीं से, कभी भी पढ़ेगा

भारत जहां पर महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में, महाभारत के महानायक अर्जुन को श्रीकृष्ण ने मोह से मुक्त करने जो ज्ञान जो धर्म से कहीं ज्यादा जीवन का नीतिशास्त्र था, दिया था, वह गीता है। यहां बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है, कि रूसी राज्य साइबेरिया में यदि वहां के न्यायालय ने इसे स्कूली शिक्षा में प्रतिबंधित करने पर सुनवाई कर रहे हैं तो पूरे भारत के मीडिया से लेकर लोकसभा तक में हल्ला प्रदर्शन हो रहा था। जबकि उस गीता के देश में ही यदि भाजपा के बुद्धिजीवी वर्ग के मुख्यमंत्री ने जब म.प्र. की विद्यालयीन शिक्षा में इसे शामिल करने की बात की तो कांग्रेसी श्वानों ने इसे न केवल सांप्रदायिक करार दिया वरन उल्टे ही भाजपा को विद्यालयीन शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप जड़ दिया और इस बात को लेकर

भी कांग्रेसियों ने धरना-प्रदर्शन और आंदोलन किये, वाह रे देश के संकर प्रजाति के कांग्रेसियों, तुम जानते हो कि यदि इस देश की जनता ने अगर भागवत गीता को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ लिया तो तुम्हारा छल, कपट, जालसाजियों, हिन्दू-मुस्लिमों में अंग्रेजों की फूट डालो, लड़ाई दंगे करवाओ और राज करो की नीति नहीं चल पायेगी, राष्ट्र की युवा पीढ़ी यदि भागवत गीता पढ़कर अगर कर्मवाद के सिद्धांत में पलकर बढ़ी होगी, तो तुम्हें सत्ता नहीं मिल पायेगी, तो तुम्हारे छल-कपट, चालाकियों और धूर्तता का जवाब तुम्हारी भाषा में ही देगी, स्वाभाविक है, तुम्हें फिर वोट नहीं मिलेंगे। दूसरा तुमने हिन्दुओं का भी इस बहाने बहुत भला किया, जो तुमने भागवत गीता को स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ने दी और उसको सांप्रदायिक बता कर मुस्लिमों को इस गीता के ज्ञान से, जो मानवता और कर्मवाद के सिद्धांत से वंचित रखा, यह बात और तथ्य कि विदेशियों ने इन धातु, यंत्रों, हिन्दुओं के शास्त्रों को जो ज्ञान, विज्ञान चिकित्सा अंतरिक्ष वस्त्र, आयुध, नक्षत्रों, ग्रहों, ज्योतिष, कृषि, मौसम, वैज्ञानिकी, रसायन, भौतिकी, जल, थल, नभ, वायु और अग्नि तत्वों की वृहद मीमांसा करते हैं। का अध्ययन कर इतनी उन्नति कर हमारे शास्त्रों से प्राप्त कर तैयार किये उपकरणों, जिसमें चिकित्सा से लेकर आयुधों, विमानों की आपूर्ति, इस देश के आलसियों,

(शेष पेज ५ पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

तंत्र की निकृष्टता दूर करो गणों

भारत की उर्वरा भूमि में श्री कृष्ण श्री राम महावीर स्वामी जैसे हजारों महायोगियों ने जन्म लेकर अपने आदर्शो से न केवल राष्ट्र को वरन पूरे विश्व को अपनी श्रेष्ठता और उत्कृष्टता का परिचय दिया।

इस भूमि पर जन्में धनवंतरी ने चिकित्सा शाखा आयमेहर ने खगोल विज्ञान से लेकर कणाद कृषि के परमाणु की मिमांसा कर रसायन शास्त्र आदि ने वर्तमान ने चल रहे विज्ञान को उस काल मे ही समृद्ध कर दिया था। वही भारत, वर्तमान में पूरे विश्व में अपने गणों के कदम कदम पर भ्रष्टाचार जागसाजियों, छल-कपट आदि से पूरे विश्व में जाना जाता है। आखिर क्यों?

पृथ्वी में भारत मे ही सबसे ज्यादा अध्ययन और विभिन्न धर्मो का प्रचलन हुआ और है जो मनुष्य के जन्म और मृत्यु की न केवल वृहत व्याख्या करता है वरन हर धर्म मानव को सत्य प्रेम और निःस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत इसी भारत के वर्तमान में जिन्हें जन चुनकर गण बनाकर तंत्र की सत्ता सौंपते हैं। वे सभी तंत्र की सत्ता संभालते ही उन्हीं जनों से उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई विभिन्न करों के माध्यम से जन हितों के नाम से स्वहितों में उपयोग कर राष्ट्र जन का घोर शोषण करते हैं।

प्रकृति ने पृथ्वी पर सभी प्राणियों के उनकी काया की आवश्यकता के अनुकूल बड़े ही समताभाव से एक जैसा दिन रात का समय वायु जल और भोजन से साथ ही मुंह दिया है। जहां से आप एकत्रित भले ही कितना करलें परन्तु भक्षण उतना ही कर सकेंगे जितना कि काया की आवश्यकता है। साथ ही प्रकृति के आंगन में प्रकृति ने काया की प्रकृति उसके कार्यो की आवश्यकता के अनुसार ही समयावधि निश्चित कर रखी है। तब तक ही वह मनुष्य अन्य सभी प्राणी उसके आंगन में संदेह विद्यमान रह सकते हैं। इसके साथ जिस प्राणी का पृथ्वी पर जन्म हुआ है। निश्चित अवधि के उपरांत उसकी मृत्यु भी होगी ही न वह कुछ लेकर जन्म देती है और न ही मृत्यु के साथ वह कुछ ले जा सकता है। यह ठोस तथ्य जिन जनों ने गणों को चुनकर तंत्र मे बैठाया है वे तो जानते ही है। साथ ही तंत्र मे भ्रष्टाचार से धन एकत्र करते हैं। उसे वो साथ भी नहीं ले जा सकते हैं। इसके विपरीत वो ये भी नहीं समझना चाहते कि उनके एकत्रित धन से जो वो जिनके लिये छोड़ कर जायेंगे उससे उनकी आने वाली पीढ़ियां घोर आलसी और निकम्मी हो जायेंगी उनके वंशजों का निकंम्मापन उन्हें मृत्यु के उपरांत भी सदियों तक बदनाम करता रहेगा। यदि प्रकृति ने मनुष्य रूप में जन्म दिया है तो देवता नहीं बन सकते कोई कष्ट नहीं, पर है, गणों अपने आपको देवता मानकर जनों का शोषण कर यथार्थ में दानव न बनों गणों की घोर स्वार्थी मानसिकता तंत्र को निकृष्ट बनाकर दानवों की श्रेणी में स्थापित कर देती है। गणों को जो उनके अपने जनों में तात्कालिक क्षणभंगुर प्रशंसा का पात्र तो बना सकती है। पर दीर्घकाल मे ऐसे भ्रष्ट अपने जनों के साथ ही अपने स्वजनों में घोर अपयश के पात्र ही होते हैं।

छल कपट पहले तो स्वयं को छलता है। गणों पहले तो अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने आप से न तो झूठ बोलूंगा और ना ही छल करूंगा। जन स्वमेव आप को ही चुनेंगे और अपने आपको धन्य मानेंगे। अन्यथा आपके छलकपट भ्रष्टाचार को देखकर लोक तंत्र के लोक सब से पहले स्वयं ही मानसिक यंत्रणाओं से गुजरकर आपको अभिशापित भी करते हैं। गणों भ्रष्टाचार के धन एकत्रिकरण से तात्कालिक शांति अनुभव कर सकते हैं। वहीं धन आपकी मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं और दुखों का कारण भी है। स्वार्थी मानसिक प्रवृत्तियों को त्याग तंत्र में आप जहां बैठे हैं। अपनी जिम्मेदारियों का निःस्वार्थ भाव से निष्पादन कर तंत्र को उत्कृष्ट बनाये जन का कल्याण करें तब ही गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक होगा।

2006 में रिलायंस ने कानून पास करवाते समय सबको बांटा था

रंग दिखाना शुरू किया खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. ने

वाल मार्ट ने केवल सत्ताधीशों को बांटा तभी विपक्ष ने हल्ला बोला

भारत में नकली मिलावटी स्तर के खाद्य पदार्थों के पकड़े जाने पर भी सजा व्यवस्था समाप्त कर केवल आर्थिक दंड के कारण केवल अब सब कुछ खुलेआम किये जाने लगा है। यह सब बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए किया गया है। इसके लिए ५ अगस्त २०११से खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम १९५४ को जालसाज सत्ताधीशों ने समाप्त कर अन्ना के आंदोलन की आड़ में खाद्य बनाम बहुराष्ट्रीय कंपनी हित सुरक्षा एवं मानक अधि. ०६ लागू कर दिया गया ताकि उनके द्वारा बेचे जाने खाद्य पदार्थों से लाखों की मृत्यु भी हो जाए तो किसी को भी न्यायालय सजा नहीं सुना सके वैसे भी पुराने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. १९५४ में भी सजा केवल एकल एवं साझेदारी व्यवसाइयों को ही हुई जबकि पारले, पेप्सी, थम्सअप, कोकोकोला, हिन्दुस्तान लीवर, केडबरीज जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के नमूनें फेल पाए गए परन्तु पिछले अनेकों वर्षों में भी न केवल उनके किसी भी अधिकारी को सजा नहीं दी गई वरन उनके उत्पादों को भी प्रतिबंधित नहीं किया। साथ मिनरल वॉटर की शीतल पेय की बोतलों में जहरीले रसायनों का सन २००५ -०६ में मामला सामने भी आया तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जालसाजों ने सारे सांसदों के खरीदकर न केवल कानून बदलवा दिया वरन घातक कीटनाशकों को जिसका प्रयोग खेती में फसलों के कीड़े मारने में किया जाता रहा है। उसे भारत के १२५ करोड़ जानवरों को पिलाने के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न मानकर उसके कीटनाशकों की मात्रा को ही स्वीकृत करवाने का कानून ही बनवा लिया, इसके साथ मसालों दलहनों अनाज में खुले में कचरा मिलाने जैसी हल्दी में ६%चावल की भूसी मिलाने तक को कानून का ही हिस्सा बनवा लिया गया। हमारे भ्रष्ट और सत्ताधीशों और सांसदों के भारत के अंतराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कं. के व्यापार करने और उनसे एक मुश्त मोटा कमीशन हजम करने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर का बहाना लेकर रिलायंस के इशारे पर जो कानून बनाया गया था जिसे खाद्य सुरक्षा वास्तव में बहुराष्ट्रीय कं.के हितों की सुरक्षा और मानक के नाम पर देशी करोड़ो व्यापारियों को मारने का अधि.०६ तो रिलायंस सत्ता में बैठी कांग्रेस और उसके संप्रग गिरोह को खरीदने और विपक्ष को उसके मुंह के आकार का टुकड़ा डालकर पास करवा ही लिया था आखिर जब कहां मर गए थे कम्युनिट, भाजपा, तृणमूल, बसपा, राजद, बीजद तब तो सबको टुकड़ा मिल गया था तब कानों कान खबर भी नहीं होने दी और खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. ०६ पास हो गया। 'समय माया' लगातार इस कानून के विरुद्ध लगातार आवाज उठाकर कानून की बारीकी से व्याख्या करता रहा है। भविष्य में पांच करोड़ प्रत्यक्ष में और २५ करोड़ अप्रत्यक्ष में बेरोजगार करने के बदले पूरे देश में लगभग पचास लाख लोगों को ही रोजगार दिया जा सकेगा। जिसमें २० से ३० लाख किसान होंगे। जिनकी बड़ी जमीनों को पट्टे पर लेकर उनका किराया और उन्ही की जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाकर जोता जाएगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नील साहब नील की खेती के लिए १७-१८ वीं शताब्दी में जोतते थे। उन किसानों की बीबी बेटियां इन बहुराष्ट्रीय कं. यथा रिलायंस वालमार्ट के अधिकारियों कर्मचारियों की रखेले बनकर रहेंगी वैसे ही जैसे कि कृषि भूमि। भले ही १ दिस. ११ के हल्ले से सरकार ने ५१ % बहुउत्पाद कं. और एक उत्पाद कं. १००% की विदेशी निवेश की छूट से कुछ कदम पीछे हटा लिए हों पर भारती के साथ वालमार्ट ने उप्र के ३५००० किसानों की जमीनों को कब्जे में लेकर अपने तरह से खेती करने का कारोबार पिछले ३-४ वर्षो से शुरू कर दिया है। इनके कारनामों की छोटी सी झलक। जिसमें उन्हें जनता के और उसकी आने पीढ़ियो के वर्तमान और भविष्य से कोई मतलब नहीं इन शूकरों को फौज तो तत्काल में धन दे दो ये जन हितके विरूद्ध कानून बनाकर सच बोलने वालों के ही जेल की हवा खिलाकर दूसरों को धमका कर मुंह बंद करवा देंगे।जब से खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. ०६लागू हुआ तबसे मिलावटियों नकली सामान बनाने वालों और बेचने वालों को सजा का खौफ समाप्त हो गया है। अब ९९% नकली घी बनाने और बेचने वालों धड़ल्ले से न केवल घी बनाकर बेंच रहे है वरन खुले में कह रहे है कि नमूना यदि नकली पाया गया तो केवल अर्थ दंड करोगे कर देना। भर देंगे फिर भी नकली घी बनाकर ही बेंचेंगे। हल्दी में शुद्ध मिट्टी मिर्ची में शुद्ध लाल मिट्टी धनिये में बुरादा बेसन के नाम पर पीला रंल मिलाकर बाजरे और मक्के का आटा खुला बेचा जा रहा है। अर्थ दंड करेंगे पकड़े जाने पर भर देंगे जेल की सजा की व्यवस्था ही खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधि. ५४ के साथ ही समाप्त हो गई अब तो शुद्ध जहर खिलाने पर भी सजा नहीं है। सिद्ध होने पर रु. ५ लाख का अर्थ दंड ही होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी की सुरक्षा और उनके इशारे पर ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है।

म.प्र. रोड डकैत कार्पोरेशन-ठेकेदारों की कठपुतली

४ वर्ष बाद भी नहीं है संकेतक और रिटेनिंग वॉल

बीओटी सड़कें बन गई हैं शोषण और मौत के साधन

राष्ट्र में धूर्त व सत्ताधीश जनता से वसूले गये करो को येन केन प्रकरण अपनी जेब के हवाले करने और जनता को लूटने के नये तरीके खोजने में विशेषज्ञ बन चुकी है। वर्तमान भारतीय लोकतंत्र लूटतंत्र बन चुका है। उसी लूट का हिस्सा है सड़कों पर बीओटी से वसूली करना एक बार बीओटी ठेकेदार के पास सड़क आने के बाद और वसूली की स्वीकृति मिलने के बाद फिर न तो मप्र सड़क डकैत निगम देखता है कि सड़कों की क्या हालत है न ही ठेकेदार को जन सुविधा को देखने की जरूरत होती है। सड़के पहले उस क्षेत्र के संभागीय प्रबंधक निगम के प्रबंधक जो कि वर्तमान में विवेक अग्रवाल है व मंत्री नागोद और प्रमुख सचिव तक महीना पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद उस रोड का उपयोग करने वालों को क्या परेशानी हो रही है कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। भारतीय सड़क कांग्रेस के मापदंडो का पालन हो रहा है या नहीं। टोल बूथ पर एंबुलेंस व क्रेन के साथ ही वाहन चालकों के लिए स्नानागार शौचालय साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था है भी नहीं कि इन सब से इन डकैत निगम कर्मचारियों अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। ये सब ठेकेदार की कठपुतली बन नाचते हैं। इसके विपरीत यदि कोई चालक यात्री इन सब के बारे में पूछतांछ करता है तो इन हराम खोर जालसाज ठेकेदारों ने गनडाग्स जो बंदूक थामें चमकाते रहते हैं। लठैतों को अवश्य बैठा रखा है। कि कोई जरा सी भी पूंछतांछ करे तो मारो पीटो क्योंकि संबंधित थाने पर भी कुछ खुराक पानी महीने की बांध दी गई है। ज्यादा मामला बढ़ जाए और कोई रिपोर्ट लिखवान पहुंच भी जाए तो कोई भी थाना उसकी रिपोर्ट नहीं लिखे।

इस सबंध में इंदौर इच्छापुर मार्ग को भी लें इस २०३ किमी लम्बें मार्ग पर तीन टोल नाकों की अपेक्षा पांच नाके चल रहे हैं। किसी पर भी एंबुलेंस या क्रेन की व्यवस्था अभी तक नहीं देखी २ नाकों पर अवैध वसूली के मामले भी भ्रष्ट ठेकेदारों और डकैत कार्पोरेशन के साथ ही संबंधित जिलों के जिलाधीश भी चुप्पी साधे महीना वसूली कर रहे हैं।

इस पूरे मार्ग पर सड़क संकेतकों के १०% ही संकेतक लगे हैं। पूरे मार्ग पर आठ साल में दो बार पुननवीनीकरण होना चाहिए था। अधिकांश मार्ग पर पेंच भरकर ही काम चलाया जा रहा है। जब कि हर वर्ष ३३% मार्ग का नवीनीकरण होना चाहिए।२७ किलोमीटर के बाद सबसे खतरनाक मोड़ पर २ लेन सड़क पहाड़ काट कर बनाई गई है। पर संकेतक न होने के कारण अधिकांश नए वाहन चालकों को भूगोल समझ में ही नहीं आता जबकि वहां पर बांये को दांये और दांये को बांये मार्ग पर गुजरने के संकेतक शीघ्र ही लगाने चाहिए थे। दूसरा सड़क कई जगह उबड़खाबड़ हो चुकी है। पर उसका समतलीकरण घाट मार्ग पर ही नहीं किया जा रहा है। तीसरा इस सड़क पर न सिर्फ पुलियाओं पर वरन सड़क के बाजु में १० से १०० फिट खाई होने पर भी अशोका विल्डकॉन के हराम खोरों ने ८ वर्ष बाद भी न तो रेलिंग लगाई न ही रोक के लिए रिटेंनिंग वाल ही बनाई है। कोई भी वाहन चालक दूसरे वाहनों को साइड देने के लिए यदि एक फुट भी उतरा तो ५०-१०० फिट गहरी खाई में गिरता है। चौथा इस सड़क पर यातायात तीन गुना बढ़ चुका है। जिससे पूर मार्ग चार लेन किया जाना चाहिए यातायत बढ़ने से चार पांच किलोमीटर तक ओवरटेक करने के लिए साइड नहीं मिलती दूसरी तरफ इन हरामखोंरो ने आठ वर्ष बाद भी सड़क के दोनों ओर पांच-पांच फीट की पट्टियां सड़क तल से नहीं मिलाई और न ही भराई की जिससे कोई भी चार पहिया वाहन के धुंए से दम घोटते हुए ४-५ किमी तक पीछे-पीछे चलना पड़ता है। यदि दोनों ओर ५-५ फीट सड़क विस्तार कर डामरीकरण कर दिया जाए तो कम से कम पांच वर्ष चलाया जा सकता है।

(शेष पेज ११ पर)

लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की जालसाजियां

भ्रष्टाचार-वसूली, छोटों को चमकाओं, बड़ों को बचाओ-कमाओ

10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार से करोड़ों के मालिक

मप्र में हाल ही में लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने छापे मार कर चपरासियों बाबुओं कुछ छोटों अधिकारियों की करोड़ों की संपत्तियां उजागर कर प्रदेश की जनता को अपने अस्तित्व का अहसास कराया है। यथार्थ में छोटों पर कार्यवाई करके अपने निकंम्मी कार्यप्रणाली के चलते आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे। उस छवि को उज्जवल किया दूसरी ओर छोटों पर छापे मारकर बड़े स्तर के अधिकारियों मंत्रियों को बचाया जा रहा है। ताकि उनके खिलाफ शिकायतें दिखाकर उनसे महीना वसूली की जा सके। जैसा कि कुछ अधिकारियों की गुफ्तगूं से ज्ञात हुआ।

मप्र के विपक्ष के नेता राहुल सिंह ने जो इस बारे में टिप्पणी की कि सरकार छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों पर छापे डलवा कर बड़ों को बचा रही है। पूर्ण सत्य होने के बावजूद भी इसमे राजनैतिक प्रतिद्वंदिता की सड़ान ज्यादा है। कां व विपक्षी नेता राहुल सिंह अपने पिता स्व. अर्जुन सिंह के सामने ये सभी भाजपाई शतरंज की बिशात के पैदल है । बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कांग्रेसी मुख्यमंत्री और सत्ता के भ्रष्टाचार लूट और प्रदेश की बर्बादी के अर्थो में कहीं दो चार कदम आगे हैं। तो कही ये भाजपाई पचासों कदम पीछे हैं।

पूरे राष्ट्र के प्रदेश के सबसे बड़े जालसाज और गिद्धों की भांति नोचने वाले इंडियन एव्यूसिंग सर्विसेस अधिकारी जो प्रदेश में भी ६०० से ज्यादा हैं। ९९% सैंकड़ों करोड़ों के मालिक हैं। जिनमें से २५% तक हजारों करोड़ों के मालिक हैं। अथाह संपत्ति के साथ पकडे गए भ्रष्ट जोशी दंपत्ति अरविन्द और टीनू की जो संपत्ति अभी तक बाहर आई वह १०% से ज्यादा नहीं है। फिर इकबाल सिंह बैस सुधीरंजन मोहंती जैसे दिग्गी के पंज प्यारे अभी भी मप्र की सत्ता की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनका यथार्थ यह है कि सत्ता भाजपा की या कांग्रेस की देश का व प्रदेश का धन १० से २०% के स्त्रोत पर ही डकार जाते हैं। दूसरी और राज्य प्रशासनिक सेवा के भी ९०% प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी लगभग ९०० अधिकारी रुपये १० से १०० करोड़ के कर्मचारी है।

जिनमे तहसीलदार स्तर के अधिकारियो को भी शामिल किया जा सकता है। प्रदेश में कार्यरत लगभग २०० पटवारी और राजस्व निरिक्षक तक ७० % करोड़ पति हैं। वन विभाग के ९० % अर्थात भारतीय वन बर्बादी सेवा के लगभग ५०० से ज्यादा आई एफ एस अफसर रुपये १० से ५० करोड़ के जिमसें रेंजर को भी शामिल कर दिया जाए तो ८०% रेंजर भी रुपये ५ से २५ करोड़ के मालिक हैं।

म.प्र लोकनिर्माण विभाग के ४०० से ज्यादा सहायक अभियंता में से ७०% २ से १० करोड़ के मालिक हैं। १०० से ज्यादा कार्यपालन अभियंताओं मे से ८०% ५ से ५० करोड़ के मालिक हैं। जो मैदानी क्षेत्रों मे संभाग संभाल रहे है। म

मप्र जलसंसाधन विकास के भी ३०० से ज्यादा सहा अभियंता ७० से ८०% रुपये ५ से १० करोड़ के १०० से ज्यादा कार्यपालन अभियंताओ मे से ९०% ५ से १० करोड़ के जो कि मैदानी क्षेत्रों मे कार्यरत है या कार्य कर चुके हैं। मालिक हैं। १० रुपये ५० करोड़ से भी ज्यादा के मालिक हो सकते हैं।

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में २०० से ज्यादा सहायक यंत्री रुपये ५ से २५ करोड़ के कार्यपालन अभियंता जो लगभग १०० से ज्यादा है ८० % रुपये ५ से ५० करोड़ तक के मालिक है यहां पर २५% उपयंत्री भी रुपये २ से ५ करोड़ के मालिक हैं।

म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मे कार्यरत उपयंत्रियों से लेकर सहायक अभियताओं कार्यपालन अभियंताओं तक से लेकर सहा. अभियंताओं कार्यपालन अभियंताओं तक ५०० से ज्यादा ९०% रुपये २ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। मनरेगा का अरबों रुपया हर जिले में आवंटित हो रहा है। इसमे भी अरबों रुपयों के मालिक भी मिल सकते हैं।

मप्र आदिमजाति कल्याण विभाग में बैठे जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, संभाग के डिंडोरी, शहडोल और अनूपनगर इंदौर संभाग के ८ में से ६ जिले अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद का बेतूल आदि १४ जिलों मे आदिवासी विकास के नाम प्रतिवर्ष रुपये २५०० से ४००० करोड़ रुपये तक विभिन्न योजनाओं में मिलता है। यहां के सहायक आयुक्त आदिमजाति विकास मुख्य का. अधिकारी रुपये ५० से ५०० करोड़ के यहां बैठे इजिनियर एकाउंटेंट तक रुपये ५ से १०० करोड़ के मालिक हैं। यहां के जिला पंचायत के मु.का.अ. भी वर्ष दो वर्ष मे रुपये १०० से २०० करोड़ तक कमाकर निकल लेते हैं।

इस प्रकार इन १४ जिलो में आदिमजाति विकास के नाम पर यहां बैठे अधिकारी कर्मचारी अरबों रुपये के मालिक होते हैं। म.प्र. की स्वास्थ्य सेवाओं मे बैठे ८०% डाक्टर रुपये ५ से २० करोड़ के जिला मुख्य चिकित्साधिकारी के रुप में पदस्थ ५०से ४५ जिलों के अधिकारी रुपये २५ से १ अरब तक के मालिक हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्वा. सेवाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ५० जिले में रुपये ५०० से २००० आवंटित होता है। केन्द्र का पिछले ६ वर्षो से यूपी के बराबर की मध्यप्रदेश में धन आवंटन हुआ संविदा पर नियुक्त डाक्टरों से लेकर एएनएम कार्यकर्ताओं तक वेतन हटा दिया

जाये तो रुपये ८००० से रुपये ९००० करोड़ की बंदरबांट में ५० % पैसा विकास खंडो पर लेकर राजधानी तक आरसीएच और एनआरएचएम का पैसा कागजी आंकड़े भरने और डकारने में ही जा रहा है।

कृषि उद्यानिकी में बैठा हर जिला स्तर का अधिकारी रुपये ५ से १० करोड़ अनुदान के आवंटनों में ५०% मुफ्त खाद बीज दवाओं की खरीदी में २५%से ५०% तक डकार जाता है। ५० जिलों के ५० से ज्यादा कृषि उपसंचालक और २०० से ज्यादा सहायक संचालकों को लेकर वरिष्ठ कृषि विस्तारक तक रुपये २ से ५ करोड़ तक विभिन्न योजनाओं से हजम कर जाते हैं। सहकारिता के शासकीय विभाग मे बैठे अंकेक्षकों से लेकर सहा. उपसंयुक्त, पंजीयक पूरे प्रदेश की गृह निर्माण साख ग्रामीण शहरीय उपभोक्ता समितियो के संचालकों तक आय के ५० गुना से ५०० गुना तक ९० % अधिकारी कर्मचारी मालिक हैं। ये स्वयं जालसाजियों को वैध बनाने के नियम बताकर पैसा कमाते हैं और सदस्यों को लुटवाते हैं।

महिला बाल विकास विभाग में मंत्री से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक ९०% अधिकारी, कर्मचारी ५० से ५०० गुना तक आय से अधिक संपत्तियों के मालिक है। हर जिला कार्यक्रम अधिकारी, तहसील और विकासखंड अधिकारी तक विभिन्न जिसमें महिला बच्चों का पोषण आहार का ७० से ९०% पैसा हजमकर लिया जाता है। ५०% करोड़ों के मालिक है। २० से ३० प्रतिशत आय से ५० से ५०० गुना तक आय के मालिक है।

हर जिला पंचायत मुख्य.का. अधिकारी रु. १० से १५ करोड़ तक हजम कर जाता है। औसतन एक जिले में ६०० से ८०० ग्राम पंचायतें होती हैं। कुल आवंटन का १० से २५% वसूलने के बाद ही आवंटन सरपंचों तक पहुंचता है। सरपंच तक अगर थोड़ा भी समझदार है तो ५०% सरपंच ३-४ वर्ष में ही रु. ५० लाख से तक विभिन्न शासकीय योजनाओं का पैसा हजम कर जाते हैं। विकास खंड अधिकारी, मु.का.अ. जनपद पंचायत तक ५ से १० वर्ष में २ से ५ करोड़ रु. की संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं।

प्रदेश की १४ नगर निगमों के ५०% अधिकारी रु. ५ से ५० करोड़ के मालिक है। २५% रु. २ से ५ करोड़ के २०% कम से कम रु. २ करोड़ से ज्यादा के मालिक है। जबकि इन्हीं नगर निगमों में कार्यरत द्वितीय श्रेणी व कर्मचारी भी २५ प्रतिशत रु. २ से ५ करोड़ के, तृतीय श्रेणी १० से २० प्रतिशत भी रु. २-५ करोड़ से ज्यादा के मालिक है। यही हाल नगर पालिकाओं यहां भी अधिकारी वर्ग ५०% करोड़ों के मालिक है।

म.प्र. खनिज विभाग के ८०% निरीक्षक रु. ५ करोड़ से ज्यादा के मालिक है। अधिकांश खुले में संरक्षण देकर खुले में अवैध उत्खनन पूरे म.प्र. में करवा रहे हैं। इसमें ५०% ऐसे भी हो सकते हैं जोरु. १० करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों के मालिक होंगे,

जिला मुद्रांक एवं भूमि क्रय विक्रय पंजीयन में बैठे ८०% उपपंजीयक रु. २५ से ५० करोड़ तक के मालिक है, इंदौर के कुछ उपपंजीयकों का पैसा तो अनेकों अवैध कालानियों में लगा है। बड़े संभागों जिसमें इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल के साथ सभी जिलों में पंजीयक सभी कार्यो में हर कदम भारी भ्रष्टाचार और जालसाजियों के चलते जिला पंजीयकों से लेकर उपपंजीयकों तक व उनके कर्मचारी हर दिन ही बाबुओं से लेकर रीडर तक औसतन रु. २ से १०,००० तक घर ले जाते हैं। उपपंजीयक का यह आंकड़ा लाखों तक में जाता है।

आबकारी विभाग में छोटे जिलों तक में बाबुओं तक रु. १० से २५००० प्रतिमाह जबकि निरीक्षक रु. १ लाख से ज्यादा, उप जिला आबकारी अधिकारी रु. २ से ५ लाख तक जबकि जिला अधिकारी रु. १० लाख तक प्रतिमाह नियंत्रित आय भ्रष्टाचार से प्राप्त करते हैं। छापों की कार्यवाही, प्रकरण दर्ज करने, प्रकरण कमजोर करने का पैसा अलग से जो हजारों से लेकर लाखों तक हो सकता है। महीने में ५-१० छापे, १०-२० प्रकरण हर जिला न्यायालय में लगते ही हैं। जिलों की आबादी और जनता में शराब की खपत के हिसाब से ये कमाई उसी अनुपात में बढ़ जाती है।

पशु चिकित्सा विभाग में भीहर जिले में हर माह करोड़ों रु. का आबंटन पशु औषधि, संवर्धन के हिसाब से आता है। परन्तु ९०% सारा खेल कागजों पर ही कर दिया जाता है। सारा पैसा हजम, अधिकांश पशु चिकित्सक अपने दूसरे कार्यों में संलग्न रहते हैं। रु. ८०० करोड़ प्रतिवर्ष के औसत खर्च पर ८० लाख अर्थात दुधारू पशु भी हर वर्ष बढ़ाये जाते जो कि पशु पर औसत रु. १०००० होता है। तो प्रदेश की आबादी से ज्यादा दुधारु पशु होते तो नकली दूध ७० प्रतिशत जैसा कि केन्द्र सरकार की हाल ही में समाचार-दैनिकों में छपे थे। बाजार में नहीं बिकता, वर्तमान हालात ये है कि प्रदेश की आबादी ७ करोड़ है और दुधारु पशुओं की संख्या प्रदेशभर में ७० लाख भी नहीं, तो पैसा कहां जा रहा है। लोकायुक्त को यहां भी छापे मारने चाहिये। अधिकांश उपसंचालक/जिला अधिकारी रु. ५ करोड़ से ज्यादा कागजों पर ही हजम कर जाते हैं।

वाणिज्यकर परिवहन कार्यालय के भ्रष्टाचार इस ही अंक में छपे है। कोष एवं लेखा जो शासकीय भुगतानों, जिसमें सभी विभागों के वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, एरियर्स, चिकित्सालय से लेकर ठेकेदारों, आपूर्ति कर्त्ताओं आदि सभी प्रकार भुगतान किये जाते हैं। बिना वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेन-देन किये नहीं होते अन्यथा वे फाइलें ही अटका देते हैं। शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुसार पूरे प्रदेश में ६वें वेतनमान के लंबित राशि के भुगतान में चपरासी की फाइल पर भी रु. ५०० का भुगतान करना पड़ा वहीं अधिकारियों को रु. ३ हजार तक, जिन जिलों जैसे की धार, झाबुआ में कुछ विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों के अनुसार एरियर की पहली व दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो सका क्योंकि कोषालयों वालों की मांग ज्यादा थी, इसमें भी ५० जिलों के कोषालय अधिकारी रु. १ से २ करोड़ तक हजम करते हैं। लोकायुक्त आ आ. अन्वे. ब्यूरो को इन पर भी छापे मारने चाहिये।

आईपीएस अधिकारियों में ९०% से ज्यादा जो मैदानी क्षेत्रों में रहे हैं या हैं। करोड़ों के मालिक है। पर लोकायुक्त और आ.अन्वेष. ब्यूरो में भी सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी है। इसलिये उनकी तरफ ये कभी निगाह नहीं उठाते। क्योंकि सभी विभागीय भाई बंधु है।

जो जितने बड़े और शक्ति संपन्न पदों पर हैं वह उतना ही भ्रष्ट हैं। फिर प्रदेश की सरकार के अधिकांश मंत्री हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक हैं। उन पर लोकायुक्त और आ.अन्वेषण ब्यूरो छापे क्यों नहीं मारता, जब चपरासी, बाबू, सहायक आबकारी अधिकारी करोड़ों के मालिक हैं। तो बड़ों का अंदाज लगाया जा सकता है कि उनका हजारों करोड़ का मालिक होना स्वाभाविक है। यदि प्रदेश में काले धन को जो कि रु. ५ लाख करोड़ से ज्यादा का होगा निकाल दिया जाये तो संपत्तियों की वर्तमान कीमत से मात्र १० प्रतिशत पर आ जायेंगी। फिर अकेले इंदौर में ही हर वर्ष आदिवासी जिलों का रु. १५००० करोड़ से ज्यादा लगाया जा रहा है। जबकि केन्द्र और राज्य का सभी प्लान और नॉन प्लान का सभी विभागों का रु. लगभग ८० से ९५ विभागों में कुल रु. १०,००० करोड़ से ज्यादा हर वर्ष आता है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के ४ बड़े बांध इंदौर संभाग में ही बनाये, जिसमें इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, जिसकी नहरें पिछले १९८० के दशक से बन रही हैं। जिनमें लाखों करोड़ रु. विनियोजित हुआ वह ५०% से ज्यादा पैसा इंदौर संभाग में ही आया, इसमें भी हर कदम भारी भ्रष्टाचार हुआ। केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृत संरचनाओं को न केवल बदला गया वरन मुख्य बांधों के मुख्य कार्यो जिसे हेड वर्क कहते हैं तक का कार्य प्राक्कलन कुछ था और कुछ और किया गया।

प्रदेश के मुख्य तकनीकी परीक्षक संस्था के पास न तो स्टाफ है, न साधन, जो वो हर कार्य का तकनीकी परीक्षण कर सके, तो फिर लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण की बिसात ही क्या जो वो भ्रष्टाचार को पकड़ा। इसके विपरीत जैसा कि बड़ों का बचाया जा रहा है, इसलिये छोटों पर छापे मारकर भाजपाई सत्ता जो प्रशंसा को बटोरनेका निरर्थक प्रयास कर रही है।जो विपक्ष के नेता राहुल सिंग ने कहा, सच तो यह है कि बड़ों की शिकायत हो जाये पंजीकृत भी हो जाये तो भी उनसे महीना बांध दिया जाता है, जब तक महीना मिलता है, फाइल दबी रहती है, महीना मिलना बंद फाइल पर कार्यवाही शुरू। आखिर ये बेचारे भी तो साधारण मनुष्य हैं।

फिर कई जांचें तो २५ वर्ष से ज्यादा गुजर जाने पर अभी तक चल रही है। संबंधित भ्रष्ट सेवानिवृत्ति हो गये, कइयों ने धरती छोड़ दी, साथ ही जिन भ्रष्टों की जांचें चल रही थीं वे न केवल पदोन्नत हो गये वरन आईएएस केडर तक मिल गया जैसे बुरहानपुर जिलाधीश आशुतोष अवस्थी, जबकि उच्च न्यायालय इंदौर ने जांच रोकने की याचिकायें तक निरस्त कर दीं फिर भी न केवल राज्य ने नाम भेजा केन्द्र ने उस पर मुहर लगा दी।

हर दिन लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण १०० भ्रष्टों पर भी छापे मारे तो भी कम है। दूसरी और न तो इनके पास इतना स्टाफ है, न साधन, न हर विभाग के विषय विशेषज्ञ। हर जिले में लोकायुक्त की शाखायें हो जहां कम से कम १०० अधिकारी-कर्मचारियों का स्टाफ हो। संभागीय स्तर पर २०० का, राजधानी स्तर पर ५०० अधिकारी कर्मचारियों का स्टॉफ भी तो कम है, भ्रष्टाचार फिर भी नहीं रुकेगा इतना अवश्य है कि दहशत से नियंत्रण अवश्य होगा।

साप्ताहिक समय माया

परिवहन विभाग के लिपिक की 60 एकड़ जमीन ही रु 300 करोड़ की

2 लाख दो पहिया वाहन के पंजीयन पर दौड़ रहे 4 पहिया वाहन

इंदौर आरटीओ में ही प्रतिवर्ष लगभग एक अरब की रिश्वत

इंदौर। आरटीओ लिपिक रमन धुलधोये पर छापा मारकर जो संपत्ति उजागर की उसे मात्र ४०-५० करोड़ की ही बताई जबकि अकेले उसके पास ६० एकड़ जमीन जो एबी रोड पर लगी है उसकी कीमत ही पांच करोड़ रुपये एकड़ के हिसाब से ३०० करोड़ की होती है। देवास से लेकर महू तक एबी रोड पर लगी किसी जमीन की कीमत रुपये २ करोड़ से लेकर १० करोड़ प्रति एकड़ है तो आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने उसकी कीमत लाखों मे क्यों बताई क्यों कि वहां भी मोटे लेन देन का सौदा हो गया था। फिर जो मकान रानीपुरा जैसे व्यवसायिक क्षेत्र में लाखों में आकें गए वहां पांच सात लाख की पगड़ी पर वहां मकान २५ हजार रुपये किराए पर भी नहीं मिलता। कुल संपति इस हिसाब से चार अरब से ज्यादा की होगी फिर जब बाजार मूल्य से देखा जाए तो फिर जो इसकी स्थायी पारिसंपत्तियां हैं तो शेयर्स ऋण पत्र और बाजार में फैक्ट्रियों में कालोनियों में भी ५० करोड़ से ज्यादा का विनियोजन होगा अर्थात जब बाबू की ये हालत है तो परिवहन निरीक्षक बिरथरे जैसे जो वर्षों से यहां क्यों और कैसे जमें है इनकी संपत्तियां भी अरबों में होंगी। वैसे भी इंदौर का आरटीओ होने के लिए पूरे प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की निगाह रहती है। जो रुपये पांच करोड़ से ज्यादा खर्च करके आरटीओ बनता है तो कितने कमाता होगा।

इंदौर आरटीओ में कदम कदम पर जालसाजी और रिश्वत खोरों का बोलबाला है। इंदौर आरटीओ में अंग्रेजी का ए से लेकर झेड कर इसी प्रकार जे,एल,एन,एन, जो वर्तमान मं दो पहिया वाहनों का इंग्लिश अल्फाबेटिकल पंजीयन चल रहा है। जो पूर्णत: दो पहिया वाहनों के लिए ही है पर जो पहिया वाहनों के पंजीयन पर न केवल कारें बसे यहां तक कि ट्रक भी हजारों की संख्या में चल रहे हैं। जिसके अनेको उदाहरण जब ऐसे चार पहिया वाहनों से या वाहनों की दुर्घटनायें होती है। जब नंबरों की जांच होती है तो पता चलता है कि इस पर तो दो पहिया वाहन पंजीकृत था। जैसा कि एस सीरिज के एक ट्रक ने जब अहमदाबाद में ४-५ लोगों को सड़क पर कुचल दिया उस ट्रक के पंजीयन को जांचा गया तो मालुम पड़ा कि उस पर किसी महिला की नंदा नगर इंदौर की है का पंजीयन है। एस सिरीज दो पहिया वाहनों जो कि महिलाओं के नाम से

पंजीकृत होते हैं के लिए आरक्षित है इसके विपरीत एस सिरीज पर शहर में अनेकों बस ट्रक और कारें घूमती हुई नजर आ जाएंगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? पंजीयन शुल्क वाहन की कीमत का कुल ७ प्रतीशत जमा करना होता है। स्वाभाविक है कि दो पहिया वाहनों पर रुपये १०-११ हजार से ज्यादा नहीं जाएगा। जबकि रुपये ३ से ३० लाख की कारों ट्रकों बसों पर कई गुना ज्यादा होता है। इस प्रकार यहां अरबों रुपये का चंदन इस जालसाजी से शासन को लगा दिया जाता है। यदि इन गाड़ियों का आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग कर दें तो क्या होगा? इसके बारे में इस परिवहन कार्यालय के गिद्दों श्वानों ने कभी नहीं सोचा। पुलिस ऐसे सैकड़ों मामलों को देखकर भी चुप रहती है।

इस खेल में इस कार्यालय का पूरा स्टाफ तो शामिल है ही साथ ही वहां बैठे ५० से ज्यादा एवजी कंप्यूटर का काम करने वाली कंपनी के साथ वहां कार्यारत २५० से ज्यादा एजेंट भी बड़ा खेल कर रहे हैं। तो अधिकांश मालिको से पूरा टैक्स लेते हैं। बीच में स्टाफ के साथ मिलकर लाखों रुपये हजम कर जाते हैं। रोज ही ये तो मात्र एक पंजीयन शाखा की कहानी का हिस्सा है। जहां वर्षो से ये जालसाजियां चल रही हैं।

जबकि रूट परिमिट में भी लाखों रुपये का खेल न केवल आर टी ओ वरन जिलाधीश पुलिस अधीक्षत आयुक्त भी करते हैं। एक रूट परमिट मात्र १५०० रुपये के शुल्क पर पांच साल के लिए जारी होता है। जबकि नियमित रूट परमिटों के नाम पर रुपये एक लाख से लेकर तीन लाख तक की घूस हर बस मालिक को बांटनी पड़ती है। जिसमें बाबू से लेकर आयुक्त तक का हिस्सा होता है। प्रतिदिन औसत बीस रूट परमिट आते हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने रुपये की कमाई संभागायुक्त से लेकर नीचे तक हर किसी की होती है। क्षे.प.का.का एक समाचार समाचार पत्रों में छपा इस कार्यालय से लगभग २ लाख फाइलें गायब हैं। बाकी गनीमत है कि बाकी रिकार्ड अधूरा बचा है। आखिर ये फाइलें क्यों और कैसे गायब हो गई आखिर गायब क्यों नहीं होगी यहां तो कदम कदम पर जालसाजियों का अंबार लगा हुआ है। जिसमें करोड़ो रुपये का हेर फेर किया गया है। फिर जितने कर्मचारी वहां पर नियमित रूप से कार्यरत है। औसत हर किसी ने दो एवजी सहायक बैठा रखे हैं। जिनका वेतन वह कर्मचारी उसीलूट के और अवैध वसूली से करता है। यह एवजी वाला महारोग पिछले १०-१५ वर्षो से चल रहा है। आखिर शासन के रिश्वत के हरियाली के सूरदासों को नहीं समझ आ रहा कि वहां शासकीय नियमित कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएं ताकि अवैध कार्यो और अनाप शनाप वसूली पर रोक लगाई जा सके।

इतनी सारी अनियमितताओं नित्य नये जालसाजी के समाचारों के चलते मुख्य मंत्री,मुख्य सचिव, मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त परिवहन के साथ ही गृह मंत्री सचिव इन सब जालसाजियों के चलते क्यों चुप हैं। जबकि चारों तरफ पूरे प्रदेश ५०% चार पहिया वाहनों पर दो पाहिया वाहनों के नंबरों पर पंजीयन दिया जा रहा है। जो प्रदेश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितना घातक हो सकता है।

जब सारे हरामखोरों की दसों उंगलियां नोटो को गिनने में लगी हों तो पहले कमाई करें या कानून देखें तत्काल तो नोट गिनों कल जो होगा देखा जाएगा।

भारत के सत्ताधीशों, सरकार और जनता को बना देंगी भिखारी

पेज १ का शेष

समाप्त कर २० लाख लोगों को रोजगार देकर अपना एकाधिकार स्थापित करने की तैयारी में लगे हैं। इस बीच वालमार्ट ने रुपये एक अरब सत्ताधीशों पर खर्च कर भारत में पैर जमाने की तैयारी में ५१ प्रतीशत अंश निवेश करने की मंजूरी संसद से प्राप्त करने की कोशिश की थी जिसे विपक्षी सांसदों ने वर्तमान में भले ही नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मार्च १२ तक के लिए टाल दिया है। पर भारत में पैर जमा कर ईस्ट इंडिया कं. के इतिहास को दोहराएगी।

अब प्रश्न यहां यह उठता है कि जब २००६ में खाद्य सुरक्ष एवं मानक अधिनियम बनाया गया जो कि पूर्णत: रिलायंस फ्रेश के इशारे पर उसके एकाधिकार के इशारे पर बनाया गया था। तब ये सारे रिलायंस को नोटों के दलदल में धंस कर क्यों कानून पास करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा गए तब ये सारे कमीशन खोर हराम खोर क्यों चुप थे तब तो सब ने अंबानी से धन डकार कर मोहर लगाकर न केवल बिल वरन कानून भी बनवा दिया और अपने मिलावट स्तरहीन माल की बिक्री पर होने वाली खाद्य अधिनियम और निवारण अधि. १९५४ को समाप्त करवा दिया।

जब कि खाद्य अपमिश्रण और निवारण अधि १९५४ से मिलावटी स्तर हीन नकली सामान लिप्त होने पर उत्पादक और विक्रेता को कारावास की सजा होने के प्रावधान से विक्रेताओं में भय था इसलिए रिलायंस फ्रेश की फुटकर भंडार श्रृंखलाओं को शुरू करने के साथ ही सजा करने वाले कानून को समाप्त करवाया ही साथ ही छोटे व्यापारियो को समाप्त करने अपने व्यवसाय को कानूनी एकाधिकार की व्यवस्था के लिए अपने बचाव की व्यवस्था भी करवाई अब जबकि खाद्य अपमिश्रण, नकली माल, स्तर हीनता मे केवल आर्थिक दंड की व्यवस्था कर दी गई तो अब मिलावटियों नकली देशी घी बनाने वाले खुल कर पामोलीन में इशेंस मिलाकर घी बना रहे हैं। पकड़े जाने पर अर्थ दंड की बात करते हैं। वालमार्ट के प्रवेश पर रिलायंस को अपना एकाधिकार समाप्त होने का खतरा दिखा तो उसने उन्ही विपक्षी सांसदों का सहारा लेकर हंगामा खड़ा करवा दिया। वर्तमान में केन्द्र और राज्यों के सत्ताधीशों राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं को लाखों नेताओं पूजीपतियों से न केवल पार्टी वरन व्यक्तिगत स्तर पर भी चंदा मिलता है। वैधानिक और अवैधानिक सभी प्रकार के कार्यो के लिए इसके साथ ही देश के कुलमिलाकर पांच करोड़ से ज्यादा छोटे-बड़े व्यावसायी उद्योगपतियों केन्द्र का कस्टम एक्साइज केन्द्रीय विक्रय कर आय कर भी देते हैं। राज्यों को राज्य कोष में विकास कर आबकारी कर आदि देते हैं। जिससे केन्द्र और राज्य की सरकारों को सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने से लेकर विकास कार्यो के लिए भी इतना धन मिलता है कि वे न केवल देश में लाखों करोड़ों संपत्तियों के मालिक होते हैं। वरन लाखों करोड़ों विदेशी बैंको में भी जमा करवाते हैं। क्यों कि आय कर विक्रय कर एक्साइज कस्टम व अन्य कर करोड़ों लोगों से वसूला जाता है। जो कि मात्र ५०% ही आता है। शासन के धूर्तो को तत्काल समझ मे आए न आए कि करोड़ों कर दाताओं से घटकर यह संख्या मात्र १०-२० पर आ जाएगी जैसे रिलायंस वालमार्ट भारती टाटा बिरला आ जाए तो ये धूर्त तो अपनी बैलेंस सीट में घाटा दिखाकर केन्द्र की और राज्य की सरकारों को एक पैसा भी टैक्स नहीं देंगे।

और टैक्स चोरी का मात्र २ या ५ प्रतीशत नेताओं को खिलाकर अपनी टैक्स चोरी को भी जायज ठहरा लाएंगे। और किसी भी बहाने के छूट ले लेंगे जैसे कि पिछले ४० वर्षो से अंबानी बंधु कर रहे हैं। तब केन्द्र और राज्य की सरकारों को अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन की तो दूर की बात है विकास पर तो खर्च करना मात्र कल्पना की बात ही हो जाएंगे। कंपनी की रिलायंस कंपनी ने अपनी बैलेस सीट में जालसाजी कर पिछले ४० वर्षो से कितना आय टैक्स चुकाया है। जबकि अंबानी मुकेश और अनिल अपने स्वयं का वेतन प्रतिमाह २ से ४ करोड़ निकालते हैं। स्वयं का बंगला रुपये १४०० करोड़ का है। पर सरकार को टैक्स के नाम पर ठेंगा बेशक वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को टुकड़े डालने से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सत्ताधीश अधिकारियों तक को टुकड़ा बांटते हैं। बदले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उनके लिखेअनुसार फैंसला लिखते हैं। जैसा कि पेनड्राइव में पकड़ा गया था। टाटा अंबानी के विरुद्ध टूजी घोटाले में कोई अंगुली नहीं उठी जबकि संसद पूरी हिलती रही। इतनी जालसाजियों के बाद भी सीबीआई ने इन पर कोई आरोप नहीं लगाया। इसलिए शायद भारत के २००१-०२ में रहे राष्ट्रपति स्व. के आर नारायणन ने कहा था भारतीय न्यायालय न्याय के मंदिर नही जुए के अड्डे हैं। जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा। अनुभव और परिस्थितियों अनुसार ही कहा था। अब अगर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो अब संख्या में आठ दस ही होंगी और टैक्स देने की अपेक्षा सब कुछ अंगुलियों पर नपाएगी और सारा लाभ विदेशों में ले जाएंगी देश की सरकार राज्यों की सरकारों के साथ जनता भी भिखारी होगी। वो यहां लाभ कमाने आएंगी दान करने नहीं उनकी बला से सरकारें दिवालियां हो या जनता भिखारी बने।

अमेरिका ब्रिटेन और यूरोप में अनेको देश इन्ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण दिवालिये पन की कगार पर आ खड़े हुए हैं। वर्तमान में भले ही ये सत्ताधीशों को मोटी रिश्वत दे रहे हैं पर जब भविष्य में सब इनका हो जाएगा तो जनता की तो दूर सत्ताधीशों की पालतू श्वान मानकर टुकड़ा डालेंगी नहीं तो दुत्कार कर भगा देंगी। यही कारण था कि स्व. इंदिरा गांधी कि ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाकर सबके सत्ता का अंगबना लिया था।

अमेरिका और ब्रिटेन और सैकड़ों यूरोपिय देश अगर रिवालियेपन की कगार पर खड़े हैं तो इसलिए कि गिद्ध बहुराष्ट्रिय कंपनी अपने लाभ के लिए ईराक और अफागिन्तान पर अमेरिका और नाटो से हमला करवाती हैं। लाभ ने होने पर सत्ता को दिवालिएपन की कगार पर लाकर खड़ा कर देती हैं क्योंकि वहां पर गिने चुने लोग ही टैक्स देते हैं।

भारत बचा हुआ है तो इसलिए कि ५०% टैक्स चोरी होने के बाद भी १२५ करोड़ की आबादी में से २५ करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जिस पर से सत्ताधीश नोचते हैं। खाते है विदेशी बैंको में जमा करवाते हैं। फिर भी देश चलता रहता है। वाल मार्ट भले ही विशाल भारत में अपने विशाल केन्द्र न भी खोल पा रहा हो फिर भी उत्तरप्रदेश और आसपास के प्रदेशों में ३५००० किसानों से पांच लाख एकड़ से ज्यादा से खेती करने का कार्य अवश्य प्रारंभ कर दिया है। अर्थात उनके कृषि उत्पादों के मूल प्रतिस्पर्धात्मक होकर न होकर उनके अपने होंगे।

राज्यों की सत्ताएं चाहे तो भाजपा की हों या कांग्रेस बसपा या अन्य किसी की भी हों इन पूंजीपतियों उद्योगपतियों से मोटे कमीशन मिलने के कारण तलवे अवश्य चाट रहे हैं। कानूनों में फेर बदल तेजी से किया जा रहा है। उनके लिए मोटी शुल्क व आंख मीच कर छूट दे दी गई है। ताकि ये बड़े पूंजीपती इन छोटों को आसानी से करों के भार से ही मार दें इसलिए म.प्र और गुजरात के भाजपाई मुख्यमंत्री शिवराज और नरेन्द्र मोदी जैसे प्रत्यक्ष शत्रु चीन मे जाकर वहां के पूंजिपतियों उद्योगपतियों को भारत में आने और उद्योग लगाने के निमंत्रण के पीले चावल दे आए हैं। अर्थात हमारे मुखेरे सत्ताधीश नेता कांग्रेस और अपना भाजपा आदि सभी देश की धरती पर विदेशियों को लाकर मोटा कमीशन डकार विदेशियों को साराबाजार सौंपने पर तुले हैं। अब हमारे सत्ताधीश ही ईस्ट इंडिया के कंपनियों को बुलाकर सारे उद्योग कृषि धंधे व्यवसाय सौंप कर भारतीय लघु उद्यमियों को कृषि आदि को समाप्त कर बाजार व्यवस्था को चौपट करने पर तुले हुए हैं। और भारत की युवा ऊर्जावान पीढ़ी को इनके यहां नौकरी की गुलामी करवाकर जीवन यापन पर मजबूर कर देंगे। अर्थात बच्चों बूढ़ों आदि के सामने भिक्षगटन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा। दो अभी छोटे मोटे उद्योग धंधो से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

निष्कर्ष बहुराष्ट्रीय कं. लाभ कमाने और जनता का शोषण तो करेंगी ही सरकारें भी अपनी मर्जी से बनाऐंगी बिगाड़ेंगी सरकार किसी की भी हो अपनी मर्जी से नचाएंगी अमेरिका और युरोप की तरह सरकार को दिवालिया बनाएंगी बेरोजगारी बढ़ाएंगी और आमजन को भिखारी बनाएंगी।

म.प्र. के ठेकदारों और वन विभाग की मिली भगत से

रु.10000 करोड़ से ज्यादा का अवैध उत्खनन

हजारों करोड़ की रायल्टी नहीं चुकाई आर. डी. सी. रा.रा.प्रा.अन्य ठेकेदारों ने अधिकांश वन क्षेत्रों से खुदाई की

मप्र मे भी बहुमूल्य खनिजों का भंडार है धरती के आंचल मे जिसमें हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न सतना पन्ना छतरपुर खजुराहो से लेकर रीवा तक भरे हैं। जिसका सेटेलाईट सर्वे १९८४-८५ में ही कर लिया गया था। जो वहां के स्थानीय व्यापारी पिछले कई दशकों से करते चले आ रहे है। हीरे से लेकर विभाजित मध्यप्रदेश में बालाघाट में माइका की विश्व प्रसिद्ध खदाने है। मप्र के भूगर्भ में तांबा जैसी कीमती धातुओं से लेकर रेत और गिट्टी तक का अवैध व्यापार चारों तरफ बड़े पैमाने पर नेताओं और मंत्रियों के संरक्षण में भारी फल फूल रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निजी क्षेत्र के ठेकेदारों की इस अवैध काली कमाई के हर नगरीय क्षेत्र मे हो रहे व्यापार जिसमें मकानों सड़कों से लेकर हर निर्माण कार्य मे लगने वाली गिट्टी रेती और बालू के कुल उत्खनन और बिक्री से सरकार के खनिज विभाग को मात्र १० प्रतीशत से ज्यादा रायल्टी खनिज निरिक्षक की अवैध वसूली के कारण नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही अगर शासकीय कार्यो में देखें तो मप्र सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ठेकेदारों ने बीओटी के अंतर्गत जो हजारों कि मी की सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रह हजारों किमी लंबे राजमार्गो ६ लेन सड़कों पर ही प्रति वर्ष रुपये १००० करोड़ से ज्यादा की रायल्टी नहीं चुकाई जा रही है। दूसरी तरफ वन विभाग के रेंन्जर और डीएफओ इस अवैध उत्खनन मे अपना हिस्सा डकार कर शासन को हजारों करोड़ रुपये का चूना हर वर्ष लगा रहे है। उत्खनन की तुलना में जब हजारों मामले पकड़ में आते हैं। पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बंदरबाट के चलते मात्र कुछ लाखों का दंड अधिरोपित कर दोनों हाथ से धन बटोर कर आंखे भींचे रहते हैं।

मध्यप्रदेश में सबसे अधिक ज्यादा अवैध खनिज का उत्खनन फारेस्ट क्षेत्र मे घड़ल्ले से चल रहा है। बीते साल ही वनों के भीतर चार हजार ८५१.९७०६७ हेक्टेयर मे अवैध उत्खनन किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। जबकि मामला कुछ एक प्रकरणों से जप्ती बनाकर केवल विभाग को दो से दस लाख की राशि जुर्माना बतौर जमा करवा रहा है। वैसे हर वर्ष वन क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा

प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं। फिर भी उत्खनन रोकने में अफसर नाकामयाब हैं।

खनिज संपना के अवैध उत्खनन के मामले में मध्यप्रदेश गढ़ बनता जा रहा है। काशकर फारेस्ट एरिया में उत्खनन के मामलें में कड़े कानून हैं. फिर भी अफसरों की मिलीभगत के चलते अवैध उत्खनन फल फूल रहा है। वर्ष २००८ में एक वर्ष के भीतर अवैध उत्खनन के विभाग द्वारा ४२०२ प्रकरण दर्ज किये गए थे। और इस दौरान दो हजार ४४४.८३९०२ हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन किया गया । इस वर्ष सबसे ज्यादा उत्खनन छतरपुर में ७७७.०१६४ हेक्टेयर छिंदवाड़ा में ६६८.८६७ हेक्टेयर सागर में ३९९.२१४ हेक्टेयर शहडोल जिले में ४२२.८२७ हेक्टेयर सहित बैतूल बागाघाट भोपाल ग्वालियर होशंगाबाद इंदौर जबलपुर कान्हा नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क रीवा सतपुड़ा नेशनल पार्क में किया गया। इस वर्ष अपराधियों से जुर्माने के रूप में मात्र १० लाख ६६ हजार रुपये वसूल किये गए अधिकृत सूत्रों ने बताया कि वर्ष २०१० मे भी स्थिति कुछ ठीक नहीं रही इस वर्ष विभाग ने अवैध उत्खनन के १११३ प्रकरण तो दर्ज किए मगर अवैध उत्खनन का दायरा दोगुना हो गया। अकेले बैतूल जिले में ही चार हजार ७१२.२४ हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर मुरम आदि का अवैध उत्खनन हुआ। इसके अलावा शिवपुरी में २३.८०५६७ हेक्टेयर छतरपुर मे १८.०१५ हेक्टेयर खंडवा में १०.५९४ हेक्टेयर इंदौर में १२.३७ हेक्टेयर खंडवा में १०.५९४ हेक्टेयर सागर मे १३.१६ हेक्टेयर सहित शहडोल बालाघाट छिंदवाड़ा रीवा सहित उज्जैन आदि वन क्षेत्रों मे खनिज का अवैध उत्खनन हुआ। इस दौरान विभाग केवल दो लाख ३ हजार रुपये का जुर्माना ही अपराधियों पर लगा सका है। ऐसा नहीं है वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर अंकुश लग गया हो । व इस व्यवसाय में लगे माफिया ने हाथ खड़े कर दिये हो बल्कि २०११ में भी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन हुआ है। सबसे ज्यादा प्रकरण ग्वालियर में ३६६ बनाए गए लेकिन यहां सबसे कम यानी कि मात्र १.६१६७५ हेक्टेयर में ही उत्खनन हुआ जबकि भोपाल में ४९. ०२३ हेक्टेयर छतरपुर में २२.२१४ हेक्टेयर खंडवा में सबसे ज्यादा ६०२.३५७६३ हेक्टेयर के अलावा बालाघाट बैतूल होशंगाबाद इंदौर सिवनी शहडोल शिवपुरी सहित उज्जैन फॉरेस्ट एरिया में उत्खनन हुआ। इन आंकड़ो से ऐसा लगता है कि इस कार्य में लगे माफिया द्वारा हर वर्ष जिले बदल दिए जाते हैं। वह कभी बैतूल तो कभी खंडवा तथा कभी भोपाल में वे इस कार्य को अंजाम देते हैं।

सूचना के अधिकार मे जानकारी मांगने पर कोई देता नहीं है। पहली दूसरी अपील लगाने का औचित्य नहीं सूचना आयोग भुखेरे आयुक्तों का अड्डा बन चुका है। अनावेदक मात्र रुपये २ से पांच हजार खर्च करके भी धड़ल्ले से अपीलें खारिज करवा देते हैं. आवेदक की क्षति पूर्ती तो म.प्र.सू.आ. में कमी दी ही नहीं गई पिछले ६ वर्षो में मात्र दो तीन अधिकारियों पर ही दंड अधिरोपिता किया गया। दूसरी ओर अगर धारा ७(६) में मुफ्त जानकारी देने का आदेश भी कर दिया तो भी भ्रष्ट विभाग के जानकारी देते नहीं है जिनसे आयोग के भूखे गिद्ध कभी ये भी नहीं पूछते कि आदेश का पालन हुआ कि नहीं। हाल ही में खनिज विभाग की अपील पी पी तिवारी ने इसलिए निरस्त कर दी कि आवेदक पहुंचा नहीं सूरदासों को अपील के तथ्यों से कोई मतलब नहीं।

भारत-चीन हटवायें प्रतिबंध ईरान से

पेज १ का शेष

इसके पूर्व वह उसके अमेरिकी डालर में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका था ताकि उसके निर्यातों में भुगतान की समस्या खड़ी हो और भुगतान संकट उत्पन्न हो जाये। अमेरिकी शासन को सबसे ज्यादा अखरता है। ईरान और भारत का पेट्रो निर्यात जिसके कारण भारत के पेट्रोल के महत्वपूर्ण आयात में भी अमेरिका के सामने सिर नहीं झुकाता, जबकि ईराक पर आक्रमण कर ईराक से पेट्रोल आयात की व्यवस्था को समाप्त ही कर दिया।

एशिया में भारत के साथ ही चीन भी महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। चीन और भारत से उसे उपभोक्ता वस्तुओं का भारी आयात करना पड़ता है। पर दोनों ही राष्ट्रों ने अभी तक एशिया में की जा रही इन बत्तमीजियों, हमलों, पाशविकता के संदर्भ में कभी भी न तो रोकने की कोशिश की। न ही अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रोकने की कोशिश नहीं की जबकि भारत और चीन की कुल आबादी विश्व की कुल आबादी की ४२ प्रतिशत के लगभग है। जबकि अमेरिका की कुल आबादी भारत और चीन की आबादी का १० प्रतिशत भी नहीं, आखिर चीन चाहे जब अमेरिका को धमकाता है, तो फिर भारत और चीन मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकीयों की एशिया में हस्तक्षेप, आक्रमणों और ईरान पर प्रतिबंध को लेकर न केवल प्रतिरोध करें, वरन दबाव बनाकर अमेरिकी दादागिरी का खुलकर जवाब दें। ताकि वह एशिया के किसी भी देश पर चाहे वो ईरान, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान पर अनावश्यक आक्रमण और प्रतिबंध न थोप सके, यह भी सच है कि चीन की हड़पो नीति आक्रमण, घुसपैठ की मानसिकता के चलते ज्यादा सिर नहीं उठाने का अवसर दिया जाना चाहिये। पर तत्काल में सवाल यह है कि अभी अमेरिकी ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उकसा रहे हैं। बाद में आक्रमण का मंच तैयार कर विश्व जगत को अपनी तरफ कर उस पर आक्रमण कर नष्ट करेंगे जिससे पेट्रोल के आयात में सबसे ज्यादा परेशानी भारत और अन्य एशियाई राष्ट्रों को ही भुगतनी होगी, जबकि अमेरिकी प्रशासन में भी भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को तेल के माध्यम से तोड़कर नष्ट करना भी षड्यंत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बेहतर यह है कि अमेरिका पर चीन और भारत अंतराष्ट्रीय स्तर पर अभी से दबाव बनाना और ईरानी व्यवस्थाओं, भुगतान संतुलन बनाये रखने के लिये ईरान को वस्तु विनिमय के माध्यम से सहयोग करते रहे।

क्या 23 दिसंबर से 30 नवम्बर हो गया

पेज १ का शेष

जो नादानी अमेरिका ने की थी कि उसने मात्र समुन्द्र में मात्र हजार दो हजार मी नीचे चट्टानों में चिपकाकर बम विस्फोट किए होंगे इसलिए आग पानी की लहरों दिखाई दी और पर्यटकों ने उसके फोटो उतार लिए उस अग्निपात के प्रभाव से न केवल तटीय क्षेत्रों में भूकंप आए भयानक बाढ़ के साथ प्रकृति ने संतुलन बनाए रखने में भयानक बारिश भी हुई। चीन ने जापान के निकट ५०किमी से ज्यादा गहरे में लगाए जिससे जापान का पूरा द्वीप ही सात फुट खिसक गया ८.३ का भूकंप आया भयानक बाढ़ आई आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया वर्तमान मे चीन ही मात्र एक एसा राष्ट्र है जो जापानी हर तरह तक चाहे वह मोबाइल दूरसंचार आटो मोबाइल इलेक्ट्रानिक को चूरा कर हर माल की नकलकर पूरी दुनिया को बेच रहा है। दूसरा चीन और जापान में सैकड़ों वर्ष पुराने शत्रु हैं। जापान ने कई वर्षो तक चीन पर राज्य किया है। चौथा आखिर जो बम बनाए हैं। आखिर उनकी भी तो उम्र समाप्त हो चुकी होगी। बेहतर शत्रुओं पर उनका प्रयोग कर लिया जाए सब तर्कों के पीछ मूल उद्देश्य था कि वैश्विक उष्णता के बढ़ने के कारणों की समीक्षा सूक्ष्म मूलांकन करना दूसरा ११ मार्च ११ की चीन जापान की इस प्रतिद्वंदिता के परिणामों की समीक्षा में जो सामने आया वह था पृथ्वी के ६.५ झुकने से मौसम मे आये बदलावों की स्पष्ट करना इसका सबसे बढ़ा प्रभाव यह देखने में आया कि जो २३ दिस. वर्ष का सबसे छोटा दिन होता था वह ३० नवंबर हो गया उसके बाद सूर्य ने दक्षिण में बढ़ने की अपेक्षा उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिससे ३० नवंबर को बाद से दिन बढ़ना शुरू हो गया। संभावित है गर्मी भी शीघ्र ही फरवरी में अप्रैल मई की तरह पड़ने लगे तापमान की औसत १-२ डिग्री बढ़ जाए बरसात मई से शुरू हो जाए इसके बारे में विश्व की वही वैधशालाओं ने टिप्पणी न भी की हो परन्तु आम जन इस तथ्य को महसूस कर रहा है।

साइबेरिया में प्रतिबंध पर भारत में हल्ला क्यों?

पेज १ का शेष

मक्कारों, स्वार्थी, धूर्तो को कर, वर्तमान में समृद्धि के शिखर पर खड़े हैं। जिन म्लेच्छों को नहाने-धोने की तमीज नहीं था, आखिर मात्र २० वीं शताब्दी में हमें ही रसायन, भौतिकी, गणित, आयुध, अंतरिक्ष, धातु, वैमानिकी चिकित्सा, यंत्रों, वस्त्रों, नक्षत्रों, ग्रहों और कृषि विज्ञान बताने और बेचने कैसे लगे, १८६० से लेकर १९०० तक अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि यहां ज्ञान की अमूल्य धरोहरें हैं।

अनेकों अंग्रेजों ने काशी, इलाहाबाद आदि में रहकर वर्षों शास्त्रों का अध्ययन कर सैकड़ों हिन्दू ग्रंथों का अनुवाद कर इंग्लैंड भेजे जो वहां से पूरे यूरोप में छा गये, उन पर लगातार शोध चलते रहे, २०वीं शताब्दी के प्रारंभ से उसके परिणाम आने शुरू हुए, जब हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों को बाहर करने में उलझे थे तब वो विद्युत, आयुध, वैमानिकी, तरंग, दूरसंचार, रसायन, भौतिकी, अंतरिक्ष पर शोध और विकास कर रहे थे, वे शोध और विकास का कर्म बिना फल की चिंता किये कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान स्कूलों में ही प्राप्त कर लिया था, उन्हें गीता के प्रारंभिक शिक्षा में मिले ज्ञान से कर्म पर विश्वास था, जिसे वहां की सरकारें भी पल्लवित और पोषित करती है, और उसी कर्मवाद के सिद्धांत का ही परिणाम है, कि हम जिस जीवन शैली को वर्तमान में आधुनिक दूरसंचार साधनों के साथ जी पा रहे हैं। इसीलिये विदेशों में सरकारें शोध कर्म पर अथाह धन खर्च करती है। सहस्त्रों वर्षों का समृद्ध संस्कृतियों का इतिहास गवाह है कि संस्कृति तभी समृद्ध हुई जब शोध और अनुसंधान कर्म पर धन खर्च किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य के जीवन में विश्व भर में इन्हीं अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप भारी परिवर्तन आये नि:संदेह ये परिवर्तन मनुष्यों के जीवन में आभासी भौतिक सुख-सुविधायें ही जुटा पाये।

इसके विपरीत आखिर जहां गीता का जन्म हुआ, वहां की मानव समाज क्यों इतनी तीव्रता से विकास नहीं कर पाई और पूरे विश्व की मार्गदर्शक सिद्ध नहीं हो सकी यदि वह भी गीता के उपदेशों पर चलकर निरंतर हर क्षेत्र में बिना फल की चिंता किये अनुसंधान करती तो हम भारतीय भी मानव जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में पूरे विश्व में दैदीप्यमान सूरज की तरह प्रकाशित हो रहे होते, पर गीता के संबंध में भी यही कहावत कि- घर का जोगी, जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, सिद्ध हो रही है।

खुशी इस बात की है, कि साइबेरियन न्यायालय में भागवत गीता को स्कूलों में प्रतिबंध लगाने का जो भूचाल भारत में आया, और मंदिरों, देवबंद की मुस्लिम मस्जिद से लेकर गिरिजाघरों तक साथ ही लोकसभा में जिस तरह के आंदोलन, प्रदर्शन, चर्चायें और बहसें हुई उससे कम से कम भारतीय वर्तमान युवा और प्रौढ़ सभी धर्मों की जनता को भागवत गीता के महत्व का अहसास हुआ, इससे देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी इस महत्वपूर्ण श्रीकृष्ण की वाणी और उसके नीति वचनों को जानने की उत्कंठा चारों और बढ़ी, इस भूचाल का असर शायद राष्ट्र की सत्ताधीश कांग्रेस के धूर्तो पर भी हो, भविष्य में यह संभव है कि वह भी इसके महत्व और ज्ञान को समझते हुए भारत की शाला शिक्षा में, ४थी-५वीं से लेकर ९वीं-१०वीं तक हिन्दी या संस्कृत विषयों में कुछ अध्याय जोड़े, जो हमारी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली वर्तमान और भविष्य के विद्यार्थियों का शाला स्तर पर ही भागवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर भविष्य में भारत का नाम विश्व के रंगमंच पर मानव जीवन से जुड़े हर पहलू को नये अंदाज और दृष्टिकोण से परिभाषित कर, रोशन कर सकें।

यह भी इस राष्ट्र की जनता का ही दुर्भाग्य कहा जायेगा कि जिस राष्ट्र में वेदों जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यर्जुवेद और अर्थवावेद, गीता जैसे पवित्र और मानव जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करने वाले ग्रंथों का जन्म हुआ, उनका तो शिक्षा में प्राथमिक से लेकर महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन शिक्षा में नामोनिशान तक नहीं मिलता इसके विपरीत हमारे नीति निर्धारक स्कूलों से ही यौन शिक्षा की पैरवी कर हमारी युवा होती पीढ़ी की प्रतिभाओं को, विदेशी कं. के कंडोम बेचने और बिक्री बढ़ाने, जांघियों में बहाकर नष्टकर देना चाहते हैं, ताकि हमारी भावी पीढ़ीयां विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा और ज्ञान के दम पर कदम न जमा लें।

यूरोपियन नीति निर्धारकों और बहुराष्ट्रीय कं. के लिये यह राष्ट्र जानवरों का राष्ट्र हैं, जो औषधि परीक्षण तो वहां जानवरों पर करते हैं। वहीं भारत में यहां के डॉक्टर मनुष्यों पर उन कं. के इशारे पर और धन के लिये वर्षो से कर रहे हैं। इसलिये यहां गीता, ऋग्वेद, यजुवेद, समावेद, अर्थववेद की शिक्षा देकर यहां के मानवों को जागृत नहीं करना वरन यौन शिक्षा देकर फिर प्रत्यक्ष प्रयोग करवाकर, सबको जांघियों में समेटकर नकारा निकम्मा बना देना हैं, जैसे यूरोप में हुआ।

साप्ताहिक समय माया

इस कानून से हिन्दुस्तान में ही हिन्दु होगा दोयम दर्जे व

साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधि

एक पूर्वाग्रही, अन्यायी एवं विभाजनकारी कानून से पाकिस्तान से ज्यादा बदतर

भारत से जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण किया तो भारत के कांग्रेसी वीरों ने अंग्रेजों से पूछा कि आखिर बिना बड़ी भारी फौज के आखिर इस राष्ट्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर कैसे राज्य किया, तो अंग्रेजों ने बताया कि यहां राज्य करने का एक सूत्र है, फूट डालो और राज्य करो, सो अंग्रेजों की वर्णसंकर नस्ल कांग्रेस उसी गुण सूत्र पर पिछले ६५ वर्षों से कार्य कर रही है। जब भी सत्ता संभालती है, तो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की पुरजोर कोशिश कर स्वयं ही आतंकवादी हमले करवाकर हिन्दुओं पर दोषारोपण कर बदनाम करती है, अजमल कसाब जैसे, अफजल गुरु जैसे घोर आतंकवादियों को पालती है, ताकि तो राष्ट्र के ४०% मुस्लिमों के वोट से सत्ता में स्थापित रहे।

अब जो कानून कांग्रेस के धूर्त, गिद्ध, महा जालसाज, चालबाज इस राष्ट्र के हिन्दुओं को नष्ट करने, सभी हिन्दुत्व से जुड़ी पार्टियां यथा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिन्दु महासभा आदि के आस्तित्व को ही अवैधानिक बनाकर केवल मुस्लिमों और ईसाइयों को ही यह कानून प्रथम दर्जे के नागरिक का दर्जा देगा, जैसा कि हमारे राष्ट्र के वर्ण संकर कांग्रेसियों की अम्मा और इस १२५ करोड़ के आबादी के राष्ट्र की बेताज इटालियन विधवा महारानी के मायके के पोप की इच्छा और आदेश है, कि भारत में हिन्दुत्व को नष्ट किया जाये और ईसाईयत को अंग्रेजी शासन की तरह राष्ट्र धर्म बनाया जाये, मुस्लिम वोट बैंक को पोषित, पल्लवित किया जाये, उस कौम को उठाया-बढ़ाया जाये, हिन्दुओं की नसबंदी कर कौम को और हिन्दुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाये उनके अपने ही राष्ट्र में इसकी सत्यता कांग्रेस द्वारा लाये जा रहे इस कानून से बेहतर स्पष्ट हो सकेगी।

भारत सरकार के द्वारा साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा (न्याय तक पहुंच और क्षतिपूर्ति) अधिनियम २०११ का ऐसा प्रारूप संसद के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जो संविधान के आधारभूत ढांचे के प्रतिकूल है, समाज को तोड़ने वाला है तथा न्यायिक व्यवस्था में भेद-भाव उत्पन्न करने वाला है। यह न्याय तक पहुंच कराने वाला अधिनियम न होकर न्याय की हत्या करने वाला अधिनियम है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसका प्रारूप दुराग्रही एवं पूर्वग्रही लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। जिन्होंने भारत के संविधान एवं समाज की चिंता न करते हुए केवल मुस्लिम एवं ईसाई हितों की ही चिंता की है तथा भारत के बहुसंख्यक समाज को तोड़ने की कोशिश की है। मध्यकालीन बर्बर आक्रांताओं के फरमान की तरह बनाये गये इस कानून में पहले ही यह मान लेना कि अल्पसंख्यक समूह (ईसाई या मुसलमान) का कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगे में दोषी ही नहीं होता, जो यह सोचने के लिए विवश करता है कि इस अधिनियम के माध्यम से सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वाा बहुसंख्यक समाज पर तानशाही लादने का प्रयास तो किया जा रहा है।

अधिनियम की कुछ आपत्तिजनक धाराएं, उपधाराएं एवं परिभाषाएं

अधिनियम का नाम, प्रभाव क्षेत्र एवं क्रियान्वयन

धारा १ (१)

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा (न्याय तक पहुंच और हानिपूर्ति) अधिनियम, २०११ है। इस कानून के द्वारा न्याय तक पहुंचा ही नहीं जा सकता क्योंकि यह पहले ही बहुसंख्यक समाज को अपराधी मान लेता है। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा एवं न्यायमूर्ति बी.एल. श्रीकृष्ण जैसे विधि विशेषज्ञों ने इस अधिनियम पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया है। अत: ऐसे किसी अधिनियम की आवश्यकता नहीं है।

धारा १ (२)

केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से इस अधिनियम को उस राज्य में विस्तारित कर सकेगी। जबकि देश में बनाया जाने वाला कोई भी कानून जम्मू-कश्मीर सहित सारे देश में एक साथ लागू होना चाहिए।

धारा १ (३)

यह अधिनियम पारित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर लागू होगा। लेकिन ऐसा आज तक कभी भी किसी कानून के सन्दर्भ में नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२ का संशोधन १९७८ में ४४वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना कारण गिरफ्तारी को लेकर विशेष प्रावधान किया गया था। इस अनुच्छेद को भारत सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। जबकि सन् १९८१-८२ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) अधिनियम के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आशा की थी कि भारत सरकार इसे शीघ्र ही लागू करेगी।

धारा २

भारत के बाहर किये गये किसी भी अपराध के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी मानो यह भारत के भीतर किया गया हो। इस प्रकार के कानून की भारत की सीमा के बाहर या भीतर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

संगठन, संघ या संगम

धारा ३ (ख)

इस धारा के अनुसार संगठन का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का समूह या निकाय है जो उस समय लागू किसी विधि के द्वारा पंजीकृत हों या न हो। यह ऐसी परिभाषा है जिसमें किन्हीं भी दो या अधिक व्यक्तियों को संगठन कहकर इस अधिनियम के अन्तर्गत झूठा फंसाया जा सकता है, चाहे उसका विधिक अस्तित्व हो या न हो।

साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा

धारा ३ (ग) धारा ९ एवं धारा ११६ इन तीनों धाराओं का निहितार्थ यह है कि अचानक अन्जाने में हुयी एक अकेली घटना देश के धर्म निरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करने वाली मानी जायेगी और वह व्यक्ति साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा अधिनियम का अपराधी बना जायेगा। अकेले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, चाहे वह केवल धमकी ही हो वह साम्प्रदायिक व लक्षित हिंसा मानी जायेगी तथा वह व्यक्ति आजीवन कारावास के अन्तर्गत जीवनभर के लिए जेल जाएगा।

समूह (जिन पर की गयी हिंसा के लिए यह कानून लागू होगा)

धारा-३

इस धारा के अनुसार 'समूह' का अर्थ भारत संघ के किसी भी राज्य में कोई धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक या भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड २५-२५ के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से है। यह धारा इस अधिनियम की सबसे आपत्तिजनक धारा है, क्योंकि यह अधिनियम केवल इन समूहों पर किये गये साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा पर लागू होता है, बाहर के बहुसंख्यक लोगों पर नहीं। इसमें प्रारूप समिति के सदस्यों ने जाति, धर्म भाषा एवं निवास स्थान के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। यह भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है और राष्ट्रीय भाईचारे के विपरीत तथा भारतीय संविधान के मूलाधिकार अनुच्छेद १५ का घोर विरोधी है। आज तक किसी भी अपराध को धर्म आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि समूह के अन्तर्गत समाविष्ट किये गये धार्मिक अल्पसंख्यक क्या साम्प्रदायिक या लक्षित हिंसा में सम्मिलित नहीं होते? इस कानून की तो यही मान्यता है। इस कानून के अनुसार गोधरा काण्ड की सुनियोजित घटना में संलिप्त अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो समूह (मुस्लिम समाज) अंतर्गत आते हैं अपराधी नहीं है, परन्तु इस घटना की स्वत: स्फूर्त प्रतिक्रिया में सम्मिलित (हिन्दू) लोग अपराधी हैं। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यदि दो समूहों के बीच में ही साम्प्रदायिक हिसा होती है तो यह कानून किस प्रकार प्रभावी होगा। जैसे उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों और ईसाइयों के बीच संघर्ष या केरल में ईसाइयों एवं मुस्लिमों के बीच संघर्ष की दशा में इस कानून की क्या भूमिका होगी?

दण्ड प्रक्रिया का समूह के आधार पर (साम्प्रदायिक) विभाजन

धारा ११ (क) यह अधिनियम अन्वेषण, गवाह, न्यायालय एवं न्याय सभी दाण्डित प्रक्रियाओं को समूह (ईसाई व मुसलमान) एवं समूह के बाहर के व्यक्तियों के आधार पर विभाजित करता है।

समूह के विरुद्ध शत्रुता का वातावरण

धारा ३च (वी) इस धारा के अनुसार कोई भी कार्य जो इस अधिनियम के अधीन अपराध हो या न हो, परन्तु जिसका प्रयोजन या प्रभाव शत्रुता का अपराधिक वातावरण उत्पन्न करना है वह अपराध माना जाएगा। संसद भवन पर हमला करने वाले अफजल गुरु और मुंबई में हमला करने वाले कसाब की फांसी की सजा पर खुशी व्यक्त करना भी इस अधिनियम के अनुसार अपराध होगा।

समूह के व्यक्ति के व्यापार, कारोबार या जीविका अर्जन करने में कठिनाई पैदा करना धारा ३च (आई) इस धारा के अन्तर्गत बहुसंख्यक समाज को बाध्य किया जायेगा कि आप हर हाल में समूह के व्यक्ति (ईसाई या मुसलमान) को अवश्य नौकरी पर रखें। उसे कभी भी नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। समूह के व्यक्ति (ईसाई या मुसलमान) के द्वारा व्यापारिक लेन-देन की पहल करने पर उन्हें मना नहीं किया जा सकता और न ही पहले चले आ रहे व्यापारिक अनुबंध को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि इस धारा के अनुसार यह सभी कार्य साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा के अन्तर्गत अपराध माने जायेंगे।

पीड़ित

धारा ३ (ञ) इस धारा के अनुसार शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक हानि से समूह का व्यक्ति पीड़ित माना जायेगा। मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक हानि एक परिकल्पना है। कोई व्यक्ति किस बात पर अपने आप को मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मान लेगा यह कहना अत्यन्त मुश्किल है। धार्मिक परिचर्चा या अनौपचारिक हास्य-विनोद से भी व्यक्ति अपने आप को मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप सेप ीड़ित कह सकता है। पीड़ित व्यक्ति स्वयंकहे या न कहे उसके नातेदार विधिक संरक्षक और वारिस के कहने पर भी अपराध दर्जकर कार्यवाही की जाएगी।

दारा ४०- पीड़ित व्यक्तिकी पहचान को हमेशा छुपाकर रखा जायेगा।

धारा ३ (ट) किसी भी व्यक्ति को कभी भी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा ८६ व ८७ जो पीड़ित व साक्षी होंगे उनका सम्पूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी।

अपराध एवं दण्ड

धारा ६ - यह कानून एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार (दो या तीन बार) दण्ड देने का विधान करता है। क्योंकि धारा ६ के अन्तर्गत इस कानून के साथ ही अभियुक्त एस.सी./एस.टी. एक्ट में भी अपराधी हो सकता है।

धारा ७ -/१४४/- समूह (ईसाई या मुसलमान) की किसी महिला के साथ दुराचार चाहे वह उसकी इच्छा से ही किया गया हो उसके लिए दस वर्ष, बारह वर्ष, चौदह वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी, लेकिन यदि किसी समूह के बाहर की महिला के साथ दुराचार होता है तो यह कानून लागू नहीं होगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अनुसार आजीवन कारावास में अपराधी चौदह वर्ष के पश्चात छूट सकता है लेकिन इस अधिनियम में वह आजीवन जेल में रहेगा।

धारा ७ (ख) समूह (ईसाई या मुसलमान) की महिला का यदि अन्जाने में भी किसी के द्वारा आंशिक रूप से वस्त्र हट जाता है तो उसे सात साल की सजा हो जायेगी।

घृणा एवं दुष्प्रचार

धारा ८/११५ - श्री रामलीला कमेटियों एवं अन्य धार्मिक संगठनों के द्वारा निकाली जाने वाली झाकियां, पथ संचलन, कथा प्रजनन, पुस्तकों का प्रकाशन एवं धार्मिक अनुसंधानिक कार्य, आतंकवाद की गतिविधियों में सम्मिलित समूह (मुस्लिम व ईसाई) के लोगों के नाम प्रकाशित करना, आतंकवाद के ऊपर किसी परिचर्चा या राष्ट्रीय सेमीनार में समूह (मुस्लिम व ईसाई) के लोगों की संलिप्तता पर चर्चा करना इस धारा के अनुसार घृणा एवं दुष्प्रचार के अन्तर्गत अपराध माने जायेंगे तथा इसके लिये तीन वर्ष का कारावास होगा।

लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना

धारा ९ (२) यदि कहीं भी छोटी सी साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा हो जाती है तो यह पूर्व धारणा मान ली जाएगी कि भारतीय लोकसेवक (प्रशासनिक अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी) अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल रहा है और वह बिना किसी भी बचाव के आजीवन कारावास का दोषी होगा।

धारा १२ - पुलिस अधिकारी किसी समूह (ईसाई या मुसलमान) के व्यक्ति को किसी अपराध या चोरी के संदेह में गिरफ्तार नहीं कर सकता। जबकि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा ४१ से लेकर ४७ तक यह विधान करता है कि संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा १३ - यदि किसी हिंसाग्रस्त क्षेत्र के समूह के भीतर के व्यक्ति यदि यह हल्ला कर दें कि लोकसेवक दंगा रोकने में असफल रहा है तो वह लोकसेवक (पुलिस,प्रशासन) अपराधी माना जायेगा। वर्तमान में सेवा शर्तों के आधार पर लोकसेवक के विरुद्ध विभागीय या शासकीय कानूनी कार्यवाही की जाती है, परन्तु वह अब सीधे अपराध एवं सजा का भागी होगा।

धारा १४/१२१ इस धारा के अनुसार सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के कमान, नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी अपनी शक्ति के अधीन यदि दंगा रोकने में असफल रहता है तो न केवल वह अपराधी माना जायेगा अपितु उसका प्रमुख भी अपराधी होगा और उसे दो वर्ष, दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी। यह पूरी तरह कल्पना पर निर्भर करेगा कि अधिकारी अपनी शक्ति के अधीन दंगा रोकने में असफल रहा है।

धारा-१६ इस धारा के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भी यदि कोई सुरक्षाकर्मी समूह के व्यक्ति पर दण्डात्मक कार्यवाही करता है, तो वह अपराधी माना जायेगा। इससे सुरक्षा बलों में घोर अनुशासनहीनता पनपने की संभावनाएं हैं।

का नागरिक

धिनियम 2011

स्थिति हिन्दुओं की हिन्दुस्तान में होगी

संगठन को सहयोग या दान देने वाला भी अपराधी

धारा १०/११७ समूह (ईसाई व मुसलमान) के बाहर के किसी संगठन का कोई एक भी व्यक्ति साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा का दोषी माना जाता है तो उस संगठन को धन या कोई सामग्री देने वाला व्यक्ति भी इस धारा के अनुसार साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा का दोषी माना जायेगा तथा इसके लिये उसे तीन वर्ष का कारावास होगा।

संगठन का प्रमुख अपराधी माना जायेगा

धारा-१५/१२२ किसी गैर सरकारी संगठन कायदि कोई कार्यकर्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि दोषी पाया जाता है तो उस संगठन का सर्वोच्च अधिकारी भी अपराधी माना जायेगा और आजीवन कारावास का भागी होगा।

राज्य सरकारें हटायी जा सकती हैं

धारा-२० साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा की किसी एक घटना के होने पर राष्ट्रीय प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५५ के अन्तर्गत आन्तरिक अशान्ति मानकर राज्य सरकार को बर्खास्त कर देगी।

प्राधिकरण का स्वरूप साम्प्रदायिक :

धारा-२१ साम्प्रदायिक सामंजस्य, न्याय ओर क्षतिपूर्ति के लिये बनाये जाने वाले राष्ट्रीय प्राधिकरण का पूरा स्वरूप साम्प्रदायिक है। इसके सात में से चार सदस्य समूह (ईसाई या मुसलमान) के ही होंगे।

धारा-२३ (१ध) इस धारा के अनुसार प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो एक वर्ष पूर्व की अवधि से किसी राजनीतिक दल का सदस्य न रहा हो। ऐसा लगता है कि इस कानून को बनाने वालों का भारत की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिज्ञों पर विश्वास नहीं है।

धारा-३० से ३६ यह प्राधिकरण सूचना इकट्ठा करेगा, जांच करेगा, शिकायत करेगा, कार्यवाही करेगा, स्थानान्तरण करेगा, पीड़ित व्यक्तियों को छुपाने में सहयोग करेगा तथा राहत के पैसों का नियंत्रण करेगा। अत: यह अपने आप में सबकुछ होगा।

धारा-४४ केंद्र की तरह राज्य स्तर पर भी एक प्राधिकरण होगा, परन्तु यह केन्द्र के अधीन होगा।

धारा- ४२ इस धारा के अनुसार प्राधिकरण के सम्मुख दिये गये किसी बयान के आधार पर बयान देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी।

धारा-५७ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता की सारी शक्ति इस प्राधिकरण में है।

धारा-६२ विशेष जांच अधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुलिस निरीक्षक स्तर का कोई अधिकारी अपराध का अन्वेषण करेगा।

धारा ७४ इस कानून के अन्तर्गत यदि कोई एफ.आई.आर. होती है तो यह मान लिया जायेगा कि अभियुक्त ने यह अपराध किया ही है। यह ऐसा उपबन्ध है जो अभी तक कानून में कहीं नहीं है।

क्षतिपूर्ति

धारा ९० क्षतिपूर्ति का विधान समूह एवं गैर समूह के सभी लोगों के लिए है। इससे ऐसा लगता है कि कानून का प्रारूप तैयार करने वाले अपराधबोध से ग्रसित है और न चाहते हुए भी यह मान बैठते हैं कि बहुसंख्यक ही दंगा करते हैं और अल्पसंख्यक पीड़ित होते हैं।

धारा-१०४ यात्रा दुर्घटना या फैक्टरी में दुर्घटना पर जितनी क्षतिपूर्ति होती है उतनी ही इस धारा में दी गयी है परन्तु वहां अपराध सिद्ध होने पर मिलती है और यहां अपराध सिद्ध होने के पूर्व ही मिल जाती है।

श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा कानून २०११ का यह ऐसा प्रारूप तैयार किया है, जिसमें पूर्वाग्रहपूर्वक यह मान लिया गया है कि केवल देश का बहुसंख्यक हिन्दू समाज ही साम्प्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है। दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह से युक्त ऐसा विभाजनकारी कानून कट्टर मुस्लिम शासकों के कालखण्ड में भी कभी भारत में लागू नहीं हुआ। यदि यह कानून संसद में पास हो गया, तो यह स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा दिया जाने वाला साम्प्रदायिक पुरस्कार होगा, तथा देश के दूसरे विभाजन की आधारशिला रखी जाएगी। यह अपने आप में अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉ की तरह एक अलग क्रिमनल लॉ होगा। समाज का बहुसंख्यक हिन्दू समाज न केवल प्रताड़ना और अत्याचार का शिकार होगा अपितु द्वितीय श्रेणी की नागरिकता तथा डरे हुए वातावरण में रहने के लिए बाध्य होगा। अत: जन सामान्य को इस अधिनियम को तैयार करने वाले लोगों एवं उसकी आपत्तिजनक धाराओं एवं परिभाषाओं की जानकारी तथा उसके परिणाम से अवगत होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे सावधान होकर अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकें।

अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वाली संस्था एवं लोग

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद :- भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रीमण्डल राज्य संचालन में राष्ट्रपति को सलाह देता है। और भारत की संसद के प्रति जवाबदेह को सलाह देता है। परन्तु इस अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है जो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल को सलाह देती है, जिसको मानने के लिए मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री और उनका मंत्रीमण्डल बाध्य है परन्तु यह संस्था किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

प्रारूप समिति के सदस्य : तीस्ता सीतलवाड़, पी.आई.जोस, नज्मी वजीरी, माजा दारूवाला, प्रसाद सिरीवेला, वृंदा ग्रोवर, उषा रामनाथन, गोपाल सुबह्मण्यम। इसमें तीस्ता सीतलवाड़ सहित अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका कार्य एवं चरित्र हिन्दू समाज से द्वेष के लिए प्रसिद्ध है।

प्रारूप समिति के संयोजक : फराह नकवी, हर्ष मन्दर

सलाहकार समूह के सदस्य : अबूसालेह शरीफ, असगर अली इंजीनियर, गगन सेठी, जॉन दयाल, जस्टीश हॉस्वेट, सुरेश, कमाल फारूकी, मंजूर आलम, मौलाना नियाज फारूकी, शबनम हाश्मी, सैयद शहाबुद्दीन, सिस्टर मॅरी स्कारिया, सुखदेव थोराट, उपेन्द्र बक्षी, उमा चक्रवर्ती

उपरोक्त कानून बेशक भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ कानून के समक्ष समता के अधिकार से स्पष्टता न केवल वंचित करेगा, दूसरा भा. संविधान का अनुच्छेद १५ सामाजिक समता के अधिकार को पूर्णत: नष्टकर देगा और अनुच्छेद १९, स्वतंत्रता का अधिकार- जिसमें सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने, संगठन बनाने, देश में कहीं भी आने-जाने, रहने, बसने और रोजगार का अधिकार होगा, का खुला उल्लंघन है।

अंतिम

इस कानून के प्रारूप के सूक्ष्म अध्ययन से दीर्घगामी जो दृश्य सामने आता है, बेशक यह वोट बैंक को सुदृढ़ बनाने, ईसाईयत के धर्म प्रसार के साथ अनुसूचित जातियों, जन जातियों को दबाव देकर धर्म परिवर्तन करवाने और बाद में इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने का षड्यंत्र है, दूसरी ओर इस कानून के लागू होने से जो स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान में हिन्दुओं और उनकी महिलाओं की हो रही है उससे बदतर स्थिति हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की कर दी जायेगी। हिन्दुओं का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि वो सहस्त्रों वर्षों से वर्ण भेद में उलझे रहे कि ब्राह्मण है, वो बनिया है, जैन, कायस्थ है, राजपूत है, ठाकुर है, शुद्र है और विदेशी आक्रांता इस पर शासन करते रहे, शायद इस कानून के विरुद्ध सब एकत्रित होकर विरोध न कर सके, तो भविष्य की कल्पना दोयम दर्जे के नागरिक की ही होगी।

म.प्र. सूचना आयोग बना भ्रष्टों व कमीशनखोरी का अड्डा

सूचना अधिनियम 05 बना दिया मजाक

अपीलों का उड़ाया जा रहा मजाक, अनावेदकों के अनुसार होते हैं निर्णय

भारत की केन्द्र सरकार में बैठी कांग्रेस ने अपने पिछले काल मे जो सबसे जनहितकारी कार्य किया था कि सूचना का अधिकार अधि. ०५ को लागू कर दिया था आखिर जिस जनता की जेब से खून पसीने की कमाई का उपयोग धूर्त हरामखोर सत्ताधीश जन हितों के नाम से स्वहितों में करते हैं। आखिर उसका हिसाब आखिर जनता जानने का हक क्यों नहीं रखती है। जनता हिसाब मांगने का हक रखती है तो उस सूचना का अधिकार अधि. लागू हुए ६ वर्ष बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत आने वाले १७ बिंदुओं की जानकारी अभी तक न केवल राज्यों ने वरन केन्द्र के किसी भी विभाग ने जनसाधारण को सुलभ इंटरनेट साइटों पर क्यों नहीं ड़ाली गई। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर विभाग मेंचारों तरफ घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके लिए कोई भी नहीं चाहता कि विभाग के संबंध में या वहां बैठे भ्रष्ट अधिकारियों या अधिकारियों के संबंध में कोई भी सूचना या जानकारी सार्वजनिक हो जिससे आमजन पत्रकार जांच ऐजेंसी कोई भी जानकारी सीधे ही बिना बताये जानकारी एकत्रित कर किसी निष्कर्ष पर पहुंच कोई सत्यार्थ प्रकाशित कर सके।

दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के स्तर जितने भी आयोगों की या कमीशनों की स्थापना की जाती है वे सब केवल जनता के आक्रोश को शांत करने, दूसरा कमीशन पर बैठाए गए कमीश्नरों से अपने पक्ष में शासन हित में कार्य करने शासकीय कार्यों शासकीय उपक्रमों के पक्ष में जनता को गुमराह करने दलीलों को शासन के पक्ष में शासकीय दलीलों को यथार्थ में बदलने जनता की दलीलों की नकारने की शासकीय निर्णयों के पक्ष में वातावरण तैयार करने जैसी कि विद्युत ऊर्जा नियामक आयोग परमाणु ऊर्जा नियामक आयोग दूरसंचार नियामक आयोग केन्द्र व राज्य के सूचना आयोग आदि इनकी कार्यप्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन करने से इन कमीशनों की कमीशन खोरी पर अपनी सेवायें शासन के पक्ष मे माहौल बनने की रही है।

दूसरा इन कमीशनो में पूर्व के ऐतिहासिक भ्रष्ट अधिकारियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। को उपकृत करने जमा धन से उन्हें वेतन भत्ता वाहन लाल बत्ती वाले जो उनके रुतबे को बढ़ाये बंगला सेवक आदि की सेवाएं भी दी जाती हैं। जिसे पाकर वो अपना बुढ़ापा सुधार सकें सभी आयोग में बैठे उनके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त आयुक्त आदि जैसे सूचना आयोग मध्यप्रदेश में ही लें मु आ पी श्री तिवारी, इकबाल अहमद खान व जिनका अपना भ्रष्टाचार का इतिहास है सूचना आयोग में बैठकर मनचाहे तरीके से काम कर रहे हैं। अनावेदक से सेवाएं लेकर उनके पक्ष मे निर्णय देकर आवेदकों को चुंकि उनसे सेवा भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए खुले में अपीलें खारिज कर सूचना अधिकारी अधिनियम ०५ का खुला मजाक उड़ा रहे हैं। हाल ही में दिए निर्णयों में मु.आ. तिवारी ने नया करिश्मा किया जिसमें मध्यप्रदेश खनिज निगम के विरुद्ध अपील में निर्णय दिया गया कि अपील में आप उपस्थित नहीं हुए इसलिए खारिज की जाती है। रिश्वत की हरियाली के सूरदासों को तथ्य नहीं दिखाई दिये और अपील खरिज कर दी गई दूसरी एक अपील मुख्य अभियंता म.प्र. लोक स्वा. यांत्रिकी इंदौर जोन के विरुद्ध सारे तथ्य थे अर्थात आवेदन का जवाब ही ३० दिन के बाद दिया गया अपील दने पर समयावधि को ध्यान न देकर पैसे जमा करने को कहा गया। जब दूसरी अपील की गई तो भ्रष्टायुक्त ने इन सब तथ्यों को नजर अंदाज कर आयुक्त इकबाल अहमद ने भी समयावधि कालातीत होने पर भी पैसे जमाकर जनकारी प्राप्त करने की ही नसीहत दे दी बेशक मप्र अ. संकुले और उनके लो.सु. अधिकारी पुराने ऐतिहासिक भ्रष्ट हैं। दोनों ने सेवा चाकरी कर जानकारी के अपील से कमीशन खोरों के बचा लिया।

इन हरामखोरों कमीशनों की मुख्यत: मप्र सूचना आयोग की कार्यशैली का एक नायाब नमूना और देखिए एक ही विभाग के तीन जिलाधिकारियों के विरुद्ध तीन अपीलें अलग अलग लगाई गई इनके विपरीत अलग अलग पत्रों से इन जालसाजों ने बिना लोक सूचना अधिकारी के नाम पते के दो लाइनों में आवेदक का नाम अपील पंजीकृत की गई इसका यह नं. है भविष्य में इससे पत्राचार करें आखिर ३५-४० वर्ष के बाद रग रग में रक्त के हर कण कण में जो मक्कारी जालसाजी और चालाकियां सीखी थी भरी है ।

सेवा निवृत्ति के बाद भी यदि कमीशन में काम करने का अवसर इस लिए दिया गया ताकि ३५-४० वर्ष की उन कालाकारियों को अपनी १६ कलाओं से आवेदकों को दिखाओ सत्ता का सच बताकर न सत्ताधीशों की लुटिया डुबाओ पर सच इसके विपरीत है कि जालसाजियों और चालाकियों से चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों और विधायकों का दुर्भाग्य यह है कि ये चुनाव जीतने के लिए धन और बल की नौंटकी कर चुनाव तो अवश्य जीत जाते हैं। पर सत्ता में आने के बाद परीक्षाओं में जीत कर असली सत्ताधीशों आई.ए.एस अधिकारियों की कठपुतली बनकर नाचते रहते हैं। असली क्रीम हजारों करोड़ों में वो चटकर जाते हैं। छांछ इन्हें मिलता है।

जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं जनता का सामना करना पड़ता है तो चुन कर सांसद विधायक जो मंत्री बन जाते हैं गालियां ये खाते हैं। जबकि सिखाते पढ़ाते व चलाते ये हैं। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी ही है।

वास्तविकता में इन सांसदों विधायकों को अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों की फौज में अच्छे सूचना के अधिकार का कार्य करने वाले २५-५०% स्टॉफ रखने चाहिए तकि वास्तविकता में अधिकारी क्या कर रहे हैं उसकी वास्तविक जानकारी उनके हांथो में हो। और ये अधिकारियों को तबियत से कस सकें और अपना भविष्य सुधार सकें । इसके विपरीत ये राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य ही था कि आजादी के ५८वर्ष बाद राष्ट्र से सूचना का अधिकार बड़े बेमन से लागू किया भी गया तो भी वहां केन्द्र ने और राज्यों की सत्ताधीश सरकारों ने चुन चुन कर ऐसे भ्रष्टों को बैठाया जो ६ वर्ष बाद भी ढंग से न केवल पूरे राष्ट्र में और राज्यों मे सभी विभागों में न केवल लागू नहीं करवा पाये धारा ४ के अंतर्गत जानकारियां इंटरनेट साइटों पर नहीं डलवा पाये वरन आवेदकों को हतोत्साहित करने के सारे हथकंडे भी अपनाते है जबकि यह एक ऐसा कानून था जिससे सत्ताधीश अपनी पारदर्शिता को दिखावा तो कर ही सकते थे क्योंकि पारदर्शिता कागजों से नहीं आती वह कार्यक्षेत्र की वास्तविकता से आती है। यदि ये ढंग से लागू कर दिया जाता तो समाजसेवी अन्ना भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं करते जिससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन विश्व स्तर पर जन मन का सहयोग मिला दूसरा सूचना आयोग में ईमानदार आयुक्त होते और समय पर तरीके से निर्णय दे रहे होते तो आम बुद्धीजीवी अन्ना के साथ खड़ा नहीं होता ये सब परिणाणों और आंदोलनों को देखकर भी इंफरमेशन कमीशन के कमीशन खोर सूचना के अधिकार अधिनियम को मजाक बनाने से नहीं चूक रहे।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. प्रदूषण फैलाओ मंडल ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार

प्रदूषण कानून वसूली के हथियार

अध्यक्ष सचिव से लेकर क्षे.का. तक सब भ्रष्ट कैसे दें जानकारियां

म.प्र. प्रदूषण मंडल में भोपाल से लेकर नीचे पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों में चारो तरफ बैठे अधिकारी भारी जालसाज और भ्रष्ट है यह बात तो सर्वोच्च न्यायालय ने तक लेदर न लिकर घाटाबिल्लोद विरूद्ध धार जिला प्रशासन के निर्णय में २ जन २००१ को ही कह दी थी।

वर्तमान मे अध्यक्ष के पद पर विराजे महाभ्रष्ट एन पी शुक्ला और सचिव आर के जैन की नियुक्तियां ही कितनी जालसाजीपूर्ण तरीके से की गई। इसे पूर्व में भी समय माया ने भी छापा था। इसकी विस्तृत खोज पूर्ण पर छपे राजधानी के अनेकों समाचार पत्र पूर्व में ही कर चुके हैं। जिसकी पुन: व्याख्या निरर्थक है। निष्कर्ष हैं कि जैसा कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि सारे कानून बनाए तो जाते हैं जनहितों की रक्षा के लिए परन्तु वे ही कानून पालन करवाने वाली संस्था के लिए वसूली का अधिकारी व हथियार बन जाते हैं। वही कानूनी प्रदूषण और जल और वायु प्रदूषण कानूनों और उनकी देख रेख करवाने वाली संस्था प्रदूषण नियंत्रण मंडल संस्थानों प्रदूषण नियंत्रण मंडल संस्थाओं जो कि पूरे भारत में है वहां बैठे भ्रष्ट अधिकारी प्रदूषण फैलाने वाली ईकाईयों से मुलहस्त से वसूली कद तान कर सोते है। चाहे तो फिर पूरा भू-जल प्रदूषित हो कर जहरीला ही क्यों न हो जाए इंदौर की ही सांवेर मार्ग की पोलोग्राउंड की औषधियों फाउंड्रिज कपड़ा रगाई रसायनों बियर फैक्ट्री प्लास्टिक आदि की फैक्टरियों मे प्रमुख रूप से इप्का रसायनों आदि के जल और वायु प्रदूषण से भूजल पूर्ण रुप से प्रदूषित हो चुका है।

इसके विपरीत इन अधिकांश फैक्टरियों पर कोई कार्यवाही न किया जाना स्पष्ट रुप प्रदूषण फैलाओ मंडल का ही भारी भ्रष्टाचार है। जल और वायु प्रदूषण का यही हाल पीथमपुर की फैक्टरियो में भी है। इंदौर के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों पालदा का उद्योग नगर लक्ष्मीबाई नगर में भी प्रदूषण फैला हुआ है। यहां क्षेत्र अ. आ. मिश्रा ने इसी इंदौर मे बीस वर्ष पूरे कर लिए हैं। मात्र एक वर्ष के लिए इंदौर से भोपाल स्थानांतरित हुए थे पर पुन: धन बल के दम पर इंदौर मे जम गये अत मिश्रा जी इंदौर न छोड़ना पड़े और रुपये ५ से १० करोड़ की वार्षिक वसूली सेवा निवृत्ति तक बनी रहे इसके लिए एक वरिष्ठ पर की पद स्थापना करवाने में जुट गए हैं। ताकि पदोन्नति के बाद भी प्रदूषण फैलाने वालों से प्रदूषण कानूनों की आड़ में वसूली की जा सके बेशक मिश्रा जी की पद स्थापना भले ही इंदौर मे हो परन्तु वन व पर्यावरण मंत्रालय से लेकर मुख्यालय तक सब जगह उनकी ही चलती है।

क्योंकि मिश्रा जी सबको अपनी कमाई मे से मूलहस्त से न केवल बांटते हैं। वरन उनकी इच्छा के विरूद्ध मुख्यालय में भी पत्ता नहीं खड़कता चुंकि मिश्रा जी इंदौर में है। तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ऊपर वालों को क्यों और क्या देंगे। फिर उपर वाले सचिव आर के जैन अध्यक्ष शुक्ल मंत्री सचिव प्रधान सचिव आखिर है तो साधारण व्यक्ति उनकी भी अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं।

धन चाहिए सभी को सभी का परमउद्देश्य धन कमाना होता है। जो मिश्रा जी ही पूरी करते हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रदूषण करने वाले जब महीना दे रहे हैं तो क्यों प्रदूषण नियंत्रण करेंगे। जब प्रदूषण फैलाने का नकदी भुगतान कर रह तो कैसा कानून जनता कल की मरती आज मरे चाहे तो प्रदूषित जल से मरे या प्रदूषित वायु से

यही हाल प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र का है। हर क्षेत्रीय अधिकारी उप क्षेत्रीय अधिकारी जब महीना वसूल कर रहे हैं तो प्रदूषण फैलाने का ही तो धन वसूल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र की ईकाईयां वर्ष भर में प्रदूषण मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों को रुपये १ अरब से ज्यादा धन बांटती हैं सब से ज्यादा पैसा नई औद्योगिक ईकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने मे मिलता है दूसरी नियमित रूप अनुक्षप्ति का पुर्ननवीनीकरण में मिलता है। तीसरा नोटिस भेजने और कानूनी कार्यवाही की धमकी पर मिलता है।

यही कारण है कि जब हमारे कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई और ३० दिन का समय व्यतीत होने पर उसकी अपील मुख्यालय को की गई वहां बैठे भ्रष्टों को धन को आखिर क्षेत्रीय कार्यालय से ही मिलता है। उन्होंने अपील को दरकिनार कर उसे खारिज कर दी क्योंकि अनावेदन सुनवाई में मुख्यालय नहीं पहुंच पाया । फिर इन हराम खोरों का बस नहीं चल पाया वरना ये तो युनियन काबाईड का २२०० टन मिथाइल आइसोसाइनाइड का कचरा धन की खातिर पीथमपुर के जालसाज रेम की कचरा निपटान केन्द्र पर पहुंचा कर रुपये एक अरब से ज्यादा हजम करने की तैयारी में थे। अच्छा तो यह था कि जो समय माया ने तथ्य इस कचरा निपटान केन्द्र के प्रकाशित किये थे और युनीयन कार्बाइड के इस घातक विषैले ठोस अपशिष्ट को यहां दफनाने के षडयंत्र का खुलासा किया गया। और जनता समय रहते जाग गई और धरने और प्रदर्शनो से रुक गया वरना तो इन जालसाजों ने प्रदेश के मीडिया को भी धन बांटकर भ्रामक प्रचार प्रसार कर पक्ष में लाने की पूर्ण कोशिश की थी। इन भ्रष्ट शूकरों की जालसाजियों का अंदाजा इन विभागीय इंटरनेट साइट एमपीपीसीबी निक इन से ही लगाया जा सकता है कि ६ वर्ष बाद १७ बिन्दुओं की न केवल जनकारी व विस्तृत बिन्दुओं को नही डाला गया है और जो डाला गया था उसपर भी समय माया की नजरें इनायत न हो जाए हटा दिया गया सूचना के अधिकार में दिये पत्र को तो अनुपस्थिति का बहाना बना कर खारिज कर दिया गया । जबकि आवेदक की उपस्थिति कहीं भी बाध्यकारी नहीं है। अपील के तथ्यों और साक्ष्यों पर ही अपीलेट अधिकारी को निर्णय देना चाहिए था।

14 हजार करोड़ पहुंचा बिजली खरीदी घोटाला

नहीं रुक रही बिना टेंडर और अनियमितता पूर्ण बिजली खरीदी सरकार नहीं दे पा रही आरोपों पर सही-सही जवाब बिजली खरीदी के नाम पर कंपनियों के साथ नेता-अफसरों की मिलीभगत मध्यप्रदेश सरकार महंगे में खरीदकर सस्ते में बेच रही है बिजली कोयले की कमी के लिए केंद्र ही नहीं राज्य सरकार भी जिम्मेदार आवंटन के बावजूद कंपनियां नहीं उठा पा रही कोयला प्रति यूनिट खपत में लगातार हो रही वृद्धि नियामक आयोग बना टैरिफ बढ़ाने का जरिया पॉवर स्टेशनों का रखरखाव में भी लापरवाही गांवों के लिए सपना ही बनी रहेगी बिजली

प्रदेश में बिजली संकट के साथ ही बिजली खरीदी और इसके वितरण में गड़बडियों तथा अनियमितताओं के आरोपों में राज्य की शिवराज सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के पास इन आरोपों पर सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ लाए गए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव में बिजली मुद्दे पर लगे आरोपों से सरकार के दांत खट्टे हो गए। प्रदेश में बिना टेंडर के बिजली के खरीदी का घोटाला 7 हजार करोड़ से बढ़कर 14 हजार तीन सौ करोड़ तक जा पहुंचा है। यही हाल फीडर सेप्रेशन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भी है। जिसमें घटिया सामग्री और उपकरण लगाने का मामला सामने आया है।

इधर, कोयले की राजनीति में अब शिवराज सरकार के हाथ भी काले होने लगे हैं। केन्द्र सरकार पर कोयला आवंटन में भेदभाव के लगातार आरोपों के बीच ऊर्जा विभाग ने स्वीकार कर लिया है कि कई मर्तबा स्थिति यह भी बनी कि मांग के अनुसार जितना आवंटन केन्द्र सरकार ने किया है, उतना कोयला प्रदेश की पॉवर जनरेशन कंपनी उठा नहीं पाई। जितना कोयला उठाया गया, उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल भी पॉवर प्लांटों में नहीं हो पाया। इधर, पॉवर प्लांटों में प्रति यूनिट कोयले की खपत भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ी है। जनरेशन कंपनी में अनाड़ी लेकिन चहेतों अफसरों को सीएमडी बनाने की परंपरा ने कोयले के गणित को बिगाड़ दिया है। पिछले साल से चल रही बिजली खरीदी में गड़बड़ी का आलम यह है कि सरकार महंगी बिजली खरीदकर सस्ती दरों पर इसे बेच रही है। सरकार ने सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित उन राज्यों से बिजली खरीदने की बात भी स्वीकार की है जहां खुद ही बिजली का घोर संकट है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 1998 तक प्रदेश को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत कर दिया गया था और 95.6 प्रतिशत मजरे-टोलों तक भी बिजली पहुंच चुकी थी। तब बिजली उत्पादन के मामले में प्रदेश का स्थान देश में तीसरे नंबर पर था लेकिन आज प्रदेश आखिरी से चौथे नंबर पर है। सरकार ने पिछले वर्षों में जितनी बिजली खरीदी है, उसके हिसाब से गांवों में 16 से 18 घंटे तक बिजली मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि बिजली खरीदी के इस खेल में पूरी सरकार मिली हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बिजली बेचने वाली कंपनियों से सांठगाठ हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार ने विद्युत नियामक आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को टैरिफ बढ़ाने और बिजली खरीदी के काले कारनामों पर पर्दा डालने का माध्यम बना लिया है। कांग्रेस के निशाने पर आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी भी हैं। जिन्हें पार्टी ने गुदड़ी के लाल की संज्ञा दे डाली है। पार्टी का कहना है कि लोकायुक्त ने साहनी पर बिजली खरीदी में घोटाला करने का मामला दर्ज किया है। उन्होंने आयोग की बिना अनुमति से करोड़ों की बिजली खरीद ली लेकिन सरकार ने उनसे सवाल-जवाब करने की बजाए उन्हें ही आयोग की कमान सौंपकर साबित कर दिया कि बिजली खरीदी के इस घोटाला में पूरी सरकार मिली हुई है। कांग्रेस का कहना है कि साहनी को सीबीआई के सुपूर्द कर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलना चाहिए। तभी मप्र की जनता के साथ न्याय होगा।

कैसी-कैसी गड़बडियां

वर्षों तक सरकारी प्रकिया को ताक पर रखकर बिना टेंडर करोड़ों की बिजली खरीदी।

जिन महीनों में बिना टेंडर की बिजली खरीदी, उन्हीं महीनों में अन्य स्थानों पर बिजली बेची।

महंगी बिजली खरीदी, सस्ते में बेची।

बिना टेंडर 14 हजार 3 करोड़ की बिजली खरीदी। ऐसी प्राइवेट पार्टियों का इस्तेमाल किया जिन्होंने कभी टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।

कोयला : आवंटन और उठाव

वर्ष 2006-07 में सरकार की मांग पर केन्द्र सरकार ने 99.07 प्रतिशत कोयल दिया लेकिन 81.16 प्रतिशत कोयला ही राज्य सरकार ने उठाया।

वर्ष 2007-08 में केन्द्र ने 92.47 प्रतिशत कोयला दिया लेकिन 76.81 प्रतिशत कोयला ही उठाया गया।

पॉवर जनरेटिव स्टेशनों का उचित एवं समयवत रखरखाव नहीं किया गया।

प्लांट यूटिलाईजेशन फैक्टर के प्रशित को घटाते-घटाते उस स्तर तक पहुंचा दिया जिससे प्लांट की बढ़ती हुई उम्र के कारण पॉवर जनरेटिंग स्टेशनों का दम निकल गया।

निजी कंपनी

विद्युत नियामक आयोग को लाभ का धंधा बनाया। टैरिफ बढ़ाने के लिए, कटौती करने के लिए आयोग का सहारा लिया जा रहा है। गलत और अनियमित बिजली खरीदी को सरकारी जामा पहनाने के लिए विद्युत नियामक आयोग की कुर्सी पर राकेश साहनी को बैठाया गया। टेंडर प्रक्रिया का पालन के स्थान पर सरकार ने समिति का गठन किया। यह समिति न तो विधिक है और न ही विधिवत तरीके से बनाई गई।

ये भी जानें

जितनी बिजली खरीदी गई उसके हिसाब से 16 से 18 घंटे बिजली गांवों को मिलनी चाहिए।

बड़े शहरों को रोशन करके प्रदेश के सैकड़ों गांवों को अंधेरे में रखा जा रहा है।

दूरदराज के गांवों हजारों किलोमीटर लाइन बिल न चुकाने के आधार पर निकाल दी गई।

प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों में हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं।

ग्रामीण बिजली व्यवस्था सुधारने के बजाए करोड़ों का कर्ज लेकर शहरों में खर्च किए जा रहे हैं।

फीडर सेप्रेशन के नाम पर घटिया दर्जे की सामग्री का प्रयोग हो रहा है।

जो बिजली खरीदी जा रही है वो ऐसे क्षतिग्रस्त व्यवस्था में लगे उपकरणों में भेजी जा रही है जो उपभोक्ता तक पहुंचती नहीं।

कोयला खपत के हाल

सरकार ने अक्षम अधिकारियों को जनरेशन कंपनी का सीएमडी बनाती रही और काम करने वाले अधिकारी इस बिजली कंपनियों में हमेशा उपेक्षा के शिकार हुए। यही वजह है कि हर साल प्रति यूनिट कोयल की खपत बढ़ रही है। इस कारण भी कोयले की कमी हो रही है।

ऊर्जा विभाग ने खपत को कम पाया और न ही कोल कंपनियों को समय पर भुगतान कर रहा है जिसके कारण कोयले का संकट भी बना हुआ है।

नाकाम रही सरकार

सरकार ने गांवों में बिजली आपूर्ति की कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी। भ्रष्ट अफसरों, गलत नीतियों और कागजी योजनाओं के भरोसे रोशनी देने का वादा कोरा ही साबित हुआ।

सरकार ने स्वीकारा

विधानसभा के बीते सत्रों में विभिन्न विधायकों के सवालों के जवाब में सरकार ने बिजली खरीदी, कोयला आवंटन और उत्पादन से जुड़ी जानकारी दी है। सरकार द्वारा दी गई इन्हीं जानकारियों में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से अब तक प्रदेश से बिजली संकट दूर हो जाना चाहिए था। सरकार ने माना है कि केन्द्र द्वारा आवंटित कोयले का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाया। कई बार तो पूरा कोयला उठाने तक में कपंनी नाकाम रही।

ये तो हद हो गई...

बिजली खरीदी के खेल को सरकार ने विधानसभा की गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखा। ऊर्जा विभाग में कोई कैबिनेट मंत्री है। राजेन्द्र शुक्ला को ऊर्जा विभाग का राज्यमंत्री बनाकर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है जबकि इसी आयोग के अध्यक्ष राकेश साहनी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

राकेश साहनी और बिजली खरीदी

कांग्रेस का आरोप है कि राकेश साहनी के अलावा ऐसा कौन-सा दूसरा अधिकारी है जिसने बिना टेंडर के शासकीय मदों में करोड़ों की बिजली खरीदी।

बिना टेंडर बिजली खरीदी के मामले में साहनी पर लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है। नियामक आयोग की मंजूरी के बिना यह खरीदारी की गई थी। सरकार ने इसी आयोग का अध्यक्ष साहनी को बना दिया।

कांग्रेस ने साहनी को गुदड़ी का लाल बताते हुए कहा कि ऐसा करके मुख्यमंत्री ने उन्हें घोटालों के लिए खुली छूट दे दी है।

गणतंत्र दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं...

कृष्णमुरारी मोघे
महापौर, इन्दौर

इन्दौर–महानगर की ओर विकास के बढ़ते कदम

- इन्दौर सीवरेज परियोजना
- शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण
- मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण
- जल प्रदाय योजना–नर्मदा तृतीय चरण
- प्राणी संग्रहालय का विकास
- नदी एवं नालों का विशेष साफ–सफाई अभियान
- यशवंत सागर
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- लोक परिवहन
- गरीब एवं मलिन बस्तियों का विकास
- पर्यावरण एवं उद्यान विकास
- जनभागीदारी से रिंग रोड का कायाकल्प एवं विकास
- जल आवर्धन योजना
- फीडर रोड
- रिवर साइड कॉरिडोर
- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था
- सिरपुर तालाब उन्नयन योजना

राजेन्द्र राठौर
सभापति

मुन्नालाल यादव

चन्दु शिंदे

श्रीमती सपना चौहान

सुरेश कुरवाडे

जवाहर मंगवानी

अजयसिंह नरूका

गोपाल मालु

दिलीप शर्मा

नगर पालिक निगम, इन्दौर

श्रीमती पद्मा भोजे

श्रीमती स्वाति शर्मा

साप्ताहिक समय माया

प्रदेश में एक लाख से ज्यादा इंदौर में ही 25000 फर्मो का टिन नं. नहीं

वा.क. की नीतियों से हो रही रुपये 5 हजार करोड़ की हानि

म.प्र शासन की आय के प्रमुख स्त्रोत वाणिज्यकर कर है जिससे शासन को रुपये ९ हजार करोड़ से ज्यादा ही आय होती है। जो कि कुल विक्रय का मात्र २५ प्रतीशत है पूरे म.प्र मे एक लाख से ज्यादा फर्में एसी है। जिनका वर्षो से करोड़ों का करोबार करने के बाद भी अभी तक टिन नं. नहीं लिया गया है। विभागी सूत्रों की माने तो अकेले इंदौर में ही २० से २५००० फर्में एसी है जो व्यापार तो वर्षो से धड़ल्ले से कर रही हैं। परन्तु उनका पंजीयन और टिन नं. नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनका तो वाणिज्यकर कर शासन को मिलता ही नहीं है। हर बड़ी फर्म एक पंजीयन करवा लेती है। जब कि उसकी आड़ में तीन चार फर्मो को चलाकर खुल कर पंजीयन की आड़ में भारी बिक्री करती है। और अपने ग्राहकों से नियमानुसार वे वाणिज्य विक्रय भी वसूला करती है। पर शासन को उसका एक पैसा भी कर नही मिलता वाणिज्यकर के अधिकारी स्वयं वे ऐसी फर्मो को जानते हैं। पर उनका स्पष्ट कहना है कि हम जानकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें उन्हें पकड़ने की तो दूर पूछतांछ का भी अधिकार नहीं है। जिन फर्मो का पंजीयन व टिन नं. होता है उसमे वाणिज्यकर कम से कम जमा करने और चोरी करने की नीयत से उसमे कम से कम विक्रय दिखाया जाता है। जिससे अकेले इंदौर में ही लगभग रुपये २००० से ३००० करोड़ रु की शासन को हानि होती है। स्वाभाविक है कि प्रदेश में बाकी बचे ४९ शहरो में से भी रुपये २ से ३००० करोड़ रपये की हानि होती है। इसके विपरीत शासन की ९९% स्वकर निर्धारित की नीतियों से भी शासन को ही नहीं वरन जनता को भी दोहरी हानि झेलना पड़ती है। क्योंकि व्यापारी जनता से शासन के नियमानुसार कर तो वसूल लेता है पर वो शासन को वह कर नही देता जिससे शासन जनता के विकास कार्यों में उपयोग नहीं कर पाती है। जबकि वाणिज्यकर विभाग का स्वकर निर्धारण के लिए बनाए गए साफ्टवेयर में इतनी खामियां और कमजोरियां है कि व्यापारी की बारीकी से की गई चालबाजियों को पकड़ने के लिए उचित नियंत्रण रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा कस्टम और एक्साइज और आयकर से इन विभाग का कोई तालमेल नहीं है इस तथ्य को शिमला गुटके के मामले में आसानी से समझा जा सकता है। कि किशोर वाधवानी कि मात्र ६ मशीनों को पंजीयन पर १२५ गुटखा मशीनों से काम किया जाता था जो करारोपण व कस्टम एक्साइज के उन मशीनों को पकड़ने के बाद किया उससे वाणिज्य कर विभाग ने सीख लेकर करारोपण किया शायद अभी तक तो नहीं।

वाणिज्य कर विभाग में बैठा हर अधिकारी और निरीक्षक जब तक बाजार में नहीं घूमेगा, जांचेगा परखेगा और खाते नहीं पलटाएगा तब तक हर व्यापारी मर्जी से ही कर भरेगा। चाहे तो भरेगा नहीं चाहेगा तो नहीं भरेगा। यदि शासन अधिकारियों और निरीक्षकों को इतना मोटा वेतन बांट रहा है तो किस बात का कार्यालयों में कुर्सी पर बैठकर कागजी कार्रवाई करने और सिर्फ जानकारी भेजने का। यदि अधिकारियों की रिश्वत की बात की जाए तो ईमानदार व्यापारी न तो खाते दिखाने से डरेगा, न ही रिश्वत देगा। जो कर चोरी कर रहा है वही भयभीत होगा। खाते भी नहीं दिखाएगा रिश्वत भी खिलाएगा न सही १००% पर १० % या २० % नही कम से कम ४०% कर तो शासन को देगा।

शासन में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य, प्रधान, सचिव और आयुक्तों ने भी तो भ्रष्टों को अपनी कमाई के लिए पोषित किया है, पिछले २० वर्षों का एक दस्तावेज सूचना के अधिकार में प्राप्त किया गया था जो ये बताता है कि किस प्रकार के उच्चाधिकारी भ्रष्टों का न केवल पोषण करते हैं। वरन् उन्हें पदोन्नतियां भी तरीके से मिलती है। तो एक ही स्थान पर वर्षो जमे रहते हैं। जैसा कि ता.क.आ. एम कुम्हार ग्वालियर वृत्त-२ में ९४-९५, ९५-९६, ९६-९७, ९८-९९, ९९-२००० तक जमे रहे और एमपीटीसी -६ के माध्यम से प्राप्त रुपए ११,६४,९९७१ में जमा नौकरी में बने रहे, अर्थात ५ वर्ष

भ्रष्टों का पोषण मेहनतकशों का शोषण

तक बैंक में जमा किया जाने वाला धन गायब होता रहा और न केवल ये वरन् शासन भी अंजान बना रहा और ५ वर्ष तक एक ही प पर एक ही स्थान पर जमे रहे, जबकि ऐसे ही एन.एस. मरावी, श्री रविन्द्र श्रीवास्तव, आरपी श्रीवास्तव सहायक आयुक्तों को माफी दी गई थी इसीलिए रुपए ११,६४,९९७१ के गबन के बाद भी यह प्रकरण निरस्त कर दिया और भृत्त संजय सोंदिया पर उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर कर भ्रष्टों को बचाया गया। इसी प्रकार क.क्र.अ.आर.सी. परमार ने भी ग्वालियर वृत्त -१ में ९७-९८, ९८-९९, ९९-२००० में रहते हुए रुपए ६,५,१७१ का गबन किया यह राशि एमपीटीसी ६ से प्राप्त तो की गई परंतु बैंक में जमा नहीं की गई। इस प्रकरण को २८/९/०६ को समाप्त कर दिया और बाद में पदोन्नति भी दे दी गई। इसी प्रकार वाकअ एन.एस. मरावी १०.७.९२ से १६/८/९४ तक ग्वालियर वृत्त३ में पदस्थ थे। इन्होंने भी रुपए १,१३,५४५ का गबन किया जो कि एमपीटीसी से वसूली गई और शासन के बैंक खाते में जमा नहीं की।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार के इस खेल में अगला क्रम वा.क.अ. नारायण मिश्रा जो ०६/१०/९७ से जुलाई २००० तक वृत क्र. ९ इंदौर में पदस्थ रहे, इसी प्रकार का गबन रु. ४,४८,२०५/ का यहां भी किया गया यह राशि बैंक खाते मे पहुंचाने की अपेक्षा हजम कर ली गई इन्हें भी बचाया गया और इस प्रकार शासन का रु. ४४८२०५ डूब गया आ.अ.अ ब्यूरो ने इसके विरुद्ध प्रकरण भी फाइल किया था जिसके विरुद्ध पुनरिक्षण याचिका में २००६ को आप अधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया इसके विरुद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण एस एलपी दायर किया नहीं इसका अपेक्षित या इतने बड़े भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी इस भ्रष्ट अधिकारी को पदोन्नत दे दी गई यह भ्रष्ट अधिकारी अभी भी मलाईदार वृत का ए सी है। इतने बड़े गबन के आरोप में भले ही धन खर्च करके बच निकले हैं। परन्तु भ्रष्टाचार बंद नहीं किया गया है। इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में डूबी शासन की रु. ३० लाख से ज्यादा धन डूबत खाते में चला गया और भ्रष्टों से वसूली को तो दूर उन्हें पदोन्नतियां भी दे दी गई। खुलकर इन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका दिया गया। जिसमें मुख्यालय में कंप्यूटर खरीदी कांड में सहायक आयुक्त आर पी श्रीवास्तव की कहानी समय माया पूर्व मे ही छाप चुका है।

विभागीय कंप्यूटर खरीदी साफ्टवेयर विकसित करने में विभाग द्वारा भुगतान में भी करोड़ों का खेल हुआ जिसे समय माया ने बिल न. के साथ छापा पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे तब तो इन अधिकारियों ने चूना लगाया ही साथ ही अब भी साफ्टवेयर में खामियों के चलते अरबों रुपये प्रतिमाह को घाटा शासन को वहन करना पड़ रहा है। अधिकारियों एक व्यापारी एक फार्म ४९ डाउन लोड करके ५ नाको से माल गंतव्य तक पहुचाता है अर्थात चार ट्रक माल पर विक्रय कर हानि शासन के राजस्व की होती है। नाकों पर बैठे अधिकारी भी जो जानते हैं वो वसूली कर चुप हो जाते हैं। जो इस चालाकी को नहीं समझते बस देखते रहते हैं। यही हाल सी फार्म का है। व्यापारी माल खरीदने वाले व्यापारी को अपना पासवर्ड देकर प्रदेश के बाहर से विक्रेता को फार्म डाउन लोड करवाकर यहां भी अगर पांच नाको से माल आया एक ही सी फार्म पर तब भी शासन को हानि उठानी ही पड़ती है। हर नाके पर फार्म ४९ और सी फार्म की प्रविष्टि कंप्यूटर में नहीं की जाती। जिससे व्यापारी भारी कर चोरी और जालसाजी के बाद भी नहीं पकड़ा जाता।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानाकारी इंदौर संभाग ३ में अग. ८ में आरोपित शासस्ति की राशि मात्र ७ खातों में रू. ७० लाख ७६ हजार अतिरिक्त मांग रु. ६ करोड़ लाख थी सित. ०८ में निकाली गई अतिरिक्त मांग की राशि मात्र ८ खातों में ही रुपये एक करोड़ १३ लाख से ज्यादा थी नव. में यहीं राशि मात्र ५९ खातों में अतिरिक्त मांग रु. १४ करोड़ ३६ लाख थी और शास्ति रु. २ लाख २२ हजार भी यही राशि दिस. ०८ में शास्ति रु. ६ लाख ५७ हजार और अतिरिक्त मांग रुपये १२ लाख ८८ हजार भी फरवरी ०९ में आरोपित शास्ति रु. ५ लाख ८४ हजार और अति. मांग रुपये १४ करोड़ ७१ लाख थी जुलाई में शास्ति की राशि रुपये एक करोड़ २८ लाख अति. मांग रुपये एक करोड़ ९९ लाख थी मात्र ४ खातों में थी अर्थात जब तक व्यापारियों के खाते नहीं जाचें जायेंगे वह अपने हिसाब से कम से कम राशि स्व कर निर्धारण मे जमा करेगा, शास्ति की राशि का ही आंकलन किया जाएगा तो अकेले इंदौर के ही तीनों संभागों की अनुमानित औसतन रुपये ५० करोड़ की कुल शास्ति मासिक की हानि से रुपये ६०० करोड़ वार्षिक हानि हुई और अतिरिक्त मांग खातों की जांच से निकाली जाने पर रुपये २०० करोड़ की हानि हुई तो रुपये २४०० करोड़ प्रति वर्ष की हानि खातों की जांच के छीने जाने से हो रही है। जबकि उपरोक्त राशि मात्र संभागीय कार्यालय की है। जबकि हर संभाग के लिए ६ वृत है और हर वृत में क्षेत्रों के अनुसार औसतन २००० से टिन नं. धारी व्यापारी पंजीकृत है। अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी वाणिज्य कर संग्रहण की हानि का अहसास शासन को इसलिये नहीं हो सका क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से कर संग्रहण भी उसी अनुपात में बढ़ गया पर इस वर्ष चनावों और अन्ना के आंदोलन की दहशत मे पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले वर्षो की तुलना में तेजी से बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई अब जबकि व्यापारियों और कार्पोरेट निजी शेयर होल्डिंग कं. से मिलने वाला कर व्यवसाय बढ़ने की तुंलना में कम हुआ स्वाभाविक है कर भी कम ही संग्रहित हुआ।

जहां तक विभाग के वर्तमान एंटी इवेजन ब्यूरो का सवाल है तो सबकी ट्रांसपोर्ट से और व्यापारियों से सेटिंग हो चुकी है सब करोड़ों में महीना वसूली कर मंत्री और सचिव प्रधान सचिव और आयुक्त को पहुंच रहा है। फिर एंटी इवेजन में ७-८ लोगों का स्टॉफ कितनी दिशाओं में एक दिन में दौड़ लगाकर ट्रकों की पकड़ कर सकता है। जबकि ५०० से ज्यादा ट्रक हर दिन माल ले जाते ले आते हैं। ए और बी दोनों मिलकर भी एक दिन में ५०-५० ट्रकों से ज्यादा की जांच तो नहीं कर सकते उन्हें उन की औकात मालूम है इसलिये बेहतर है सेटिंग करो महीनों वसूली करो फिव लाखों रुपये लेकर भ्रष्ट अय्याश मंत्री पोस्टिंग कर रहा है तो १००-२०० गुना कमाने के लिये या गंवाने के लिए फिर किसकी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आयुक्त के पास एक शासकीय वाहन और एक अर्दली होना चाहिए तो तीन से ज्यादा वाहन क्यों लगे हैं। एक आयुक्त महोदय को लाने ले जाने और एक परिवार को घुमाने फिराने तीसरा बच्चों को स्कूल कालेज से लाने ले जाने के लिये साथ ही वाणिज्यकर १० से १५ चौकीदार भृत्य क्यों आयुक्त के निवास पर शासन के वेतन के कार्यरत है। ईमानदारी चाल और चरित्र में होना चाहिए ना कि दूसरों को हड़काने डराने चमाकने में स्टाफ को गालियां बकने से महोदय की गरिमा मे वृद्धि तो नहीं हो जाती है। दूसरी और व्यापारी और जालसाजी और कर चोरी कर रहा है तभी तो चपरासी बाबू से लेकर अधिकारी तक को बांट रहा है। अब जब स्वकर निर्धारण लागू कर ९९% व्यापारी को छूट दे दी गई है तो कल तक २५% कर देता था अब १०% ही दे रहा है।

हजारों करोड़ों खर्च योजनाएँ समय पर नहीं होती पूरी

पेज १२ का शेष

उनसे छोटे अधिकारियों सहा. यंत्री, उपयंत्री ऐसे में उचट कर लगी है। २०/०१/१२ को जब सूचना के अधिकार में ३.३० बजे एक पत्र देने का प्रयास किया तो एक मात्र महिला कर्मचारी थी जिसने साफ मना कर दिया कि मेरा काम नहीं पत्र लेना जब भोपाल फोन लगाया तो उपाध्यक्ष के पीए राठौर ने उठाया तो उसने कहा कि मेरी उस महिला से बात करवाइये उस महिला ने फोन पर ही बात्तमीजी दिखाते हुए कह दिया कौन सा उपाध्यक्ष कौन का राठौर मैं नहीं जानती मुझे किसी से बात नहीं करना ये सब राठौर जी ने सुना अधिकांश संभागों में लंच एक बजे शुरू होकर ४ बजे तक चलता है। अधिकांश संभागीय कार्यालयों वृत्त कार्या. सहायक अभियंता कार्यालयों मे उपरी नर्मदा जोन से लेकर निम्न नर्मदा परियोजना इंदिरा सागर नहरों के सभी संभागों की स्टाफ की हालत यही है। दूसरी ओर अधिकांश अधीक्षण यंत्री संविदा पर नियुक्त किये गये हैं। मु. अ. देवड़ा इंदिरा सागर नहरें सनावद भी प्रभारी है। और अधिकांश उनके मूल विभाग मप्र जलसंसाधन से प्रति नियुक्ति पर आये हैं। जबकि मूल विभाग मे ढाई सौ से सहायक यंत्री २५-३० वर्षो से एक पद पर कार्यरत हैं। यदि इनको समय पर पांच दस साल बाद सहायक कार्यपालन अभियंता बना दिया जाता तो नर्मदा घाटी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अभियंताओं के संविदा पर अधीक्षण मुख्य अभियंता बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारतीय प्रशासनिक सेवा बनाम इंडियन एक्यूसिंग सर्विस में चयन क्या हो जाता है पूरे देश के असली खुदा ये ही हो जाते हैं। जिन्हे कुछ भी नहीं आता वे सबकुछ जानते हैं का दंभ पालकर इन अभियताओं को जो सैकड़ों की संख्या में पिछले २० -३० वर्षो से पदोन्नतियां नहं दे रहे ताकि इनका चहुं और शोषण किया जा सके। इस पूरे तकनीकी कार्य में भी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी ओ.पी. रावत इसके उपाध्यक्ष है ये न तो कोई इंजिनियर है न ही किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ इसलिये ये भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण बन चुका है। जो पिछले चालीस वर्षो से सभी मुख्यमंत्रियों से लेकर निचले स्तर पर उपयंत्री तक सब को दूध देने वाली मुर्रा भैंस बन चुका है। यही कारण है कि हजारों करोड़ों खर्च होने पर भी कोई कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ वहीं गुजरात ने इसी नर्मदा के पानी से चारों तरफ भारी विकास समय रहते ही कर लिया। जबकि मध्यप्रदेश के मूल से निकली नुर्मदा के पानी का होकर सही सदुपयोग समय पर मप्र का भ्रष्टाचार लील गया। यदि निम्न नर्मदा जोन इंदिरा सागर की नहरों का निर्माण सही सयय पर हो जाता तो खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी के हजारों गांवो की लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होकर बारहमासी फसलें पैदा करती। जिससे प्रदेश का निमाड़ और इंदौर संभाला हरियाणा और पंजाब की तरह का भारी समृद्धिशाली हो जाता। पर भ्रष्ट मंत्रियों अभियंताओं की भ्रष्ट मानसिकता और बीसी व्याती कर्ण सिंह जैसे जालसाज ठेकेदारों की लूट खसोट के चलते अधिकांश कार्यो की पूर्णता में निर्धारित समय से दुगना तिगुना तक विलंब हुआ। एन. व्ही. डी. ए. निक इन की साइट पर भी प्रशासनिक जालसाजों ने बहुत थोड़ी सी जानकारी ही डाली है। संभागों के नाम कार्य क्षेत्र पते अधिकारियों कर्मचारियों की इन धूर्त हरामखोरों ने धारा ४ के अंतर्गत ६ वर्ष बाद भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। मप्र शासन, आई ए एस, आई पी एस, एफ एस से ३१ जनवरी तक की जानकारी मांगता है। पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में बैठे मंत्रियों से लेकर नीचे तक उपयंत्रियों और कर्मचारियों की जानकारी को न तो ६ वर्षो मे साइट पर डाला है न ही मांगी गई। जबकि अनेकों उपयंत्रियों से लेकर ९०% सहा. यंत्री का अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता तक भ्रष्टाचार के करोड़ों हजम कर चुके हैं। जिनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता।

कृषि अधिकारी जालसाजियों से धन हजम कर रहे कृषक आत्महत्या कर मर रहे हैं

कृषकों पर अत्याचार-अधिकारियों का भ्रष्टाचार

जानकारी मांगने पर दलीलें, भ्रष्टाचार पकड़ में न आए

म.प्र सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने शासन को कितना ही जन कल्याणकारी बनाने के दावा करे परन्तु उनका जन हितों के लिए किये गये कार्यों में आधी हकीकत आधा फसाना दूर कहीं कही तो १०% हकीकत और ९०% फसाना उनके अपने मंत्रीमंडल के मंत्री के लेकर नीचे तक के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं सिद्ध कर देते हैं। कृषि विभाग को लीजिए वर्तमान मे किसानों के केन्द्र व राज्य की योजनाओं से २२-२५ प्रकार का अनुदान मिलता है। जिसका करोड़ों रुपये हर वर्ष जिले में आवंटित होता है। जो किसानों को मिलना चाहिए किसानों को मिलता भी है। जिसका करोड़ों रुपये हर वर्ष पर ५०% प्रतीशत कृषि अधिकारी या उपसंचालक कृषि विकास और कृषक कल्याण विभाग के अधिकारी हजम कर लेते हैं। तब वह अनुदान कृषक के खाते में जाता है। इसके साथ हर कृषि उपसंचालक हर वर्ष कम से कम ५ से ८ करोड़ हजम कर लेता है। जिसमें खाद बीज कीटनाशक के विक्रय हेतू अनुज्ञप्ति प्राप्त करने मे प्रति अनुज्ञप्ति रु. २५०० प्रती नवीनीकरण में रु. १० से १५०००/- उत्पादन हेतु रुपये २५००० से लेकर रुपये ५ लाख तक जैसी उत्पादक इकाई होती है। फिर जहां सौदा पट जाए।

दूसरी ओर प्रमाणित बीजों खाद और कीटनाशकों के नमूने लेने छोड़ने प्रकरण बनाने न बनाने भेजने न भेजने भेज देने पर नमूने नकली स्तरहीन न अप्रमाणिक होने पर भी भारी रु १० हजार से लाख तक का खेल होता है। इसी प्रकार बलराम तालाब बनाने पर रुपये ५० से ८०००/- तक का अनुदान भी भूमि संरक्षण अधिकारी स्वीकृत करना है।

इन सबके संबंध में उज्जैन के उपसंचालक कृषि ए के नेमा से जब जानकारी मांगी गई ये जब भू संरक्षण अधिकारी जिला सीहोर थे तब इन्होंने ६०० तालाब बनाये और अनुदान स्वीकृत किये थे जिमसें से १४७ तालाब चोरी हे गये थे। स्वाभाविक है कि भारी भ्रष्ट है भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर हर अनुदार पर कमीशन मांगने की जानकारी मांगी गई तो जानकारी देने की अपेक्षा भ्रष्ट भारी दलीलें दी जैसा कि हर अपराधी करता है। इस जवाब को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह जवाब जानकारी न देने की दलीलों ताकि ये जनता का करोड़ों आसानी से डकारते रहे दूसरी ओर किसान की फसलें खराब होने पर कर्ज में डूबकर आत्महत्यायें करते रहे जबकि मध्यप्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओ में रुपये १० अरब से ज्यादा का अनुदान बांटता हैं। हिसाब मत मांगिए क्योंकि इससे इन भ्रष्ट हरामखोरों भ्रष्टों का यथार्थ सामने आ जाएगा। इस सारे धूर्तो जो मंत्री प्रधान सचिव सचिव संचालक से लेकर गांवो तक बैठे कृषि विस्तार अधिकारियों तक जो दोनों हाथों से अनुदान में अपना ५०% तक डकार कर ही अनुदान स्वीकृत करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके क्षेत्रों मे कितने किसानों ने आत्महत्या की है। यदि किसान ने कर्ज के मारे आत्महत्या कर भी ली तो उसे घरेलू विवाद मानसिक रोगी शराबी स्टोरिया बताकर पल्ला झाड़ने की पुरजोर कोशिश करते हैं। स्वाभिक है कि सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के लिए भी सैकड़ों दलीलें देंगे कि जैसा कि उपर दिये पत्र को पढ़ने से ही सिद्ध होता है।

ऐसा ही प्रकरण देवास में भू संरक्षण अधिकारी बिघौनिया के सामने आया जिसने १८०० तालाब खुदवा दिये जब इनसे बात करने का प्रयास किया तो इनके दलाल सामने आ गए और हुज्जत करने लगे फिर बिघोनिया ने अपनी पती के एसआई होने की भी धमकी दी जवाब में एक मुश्त बिना बिन्दुवार जानकारी दिये मांगी गई जब विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां भी एक एक तलाब की जानकारी ली जाए तो आधे अधूरे होने के साथ ही सैकड़ों गायब पाए जाएंगे। लोकायुक्त को इसकी भी जांच करनी होगी। यहां भी पूरे मध्य प्रदेश में पूरे दो सौ से ज्यादा उपसंचालक सहायक संचालक से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तक ५ से १० करोड़ के मालिक हैं। जब विभाग के अधिकारी मालिक हैं तो सीमांत और लघुकृषक केन्द्र व राज्य शासन की अनुदान बीज खाद कीटनाशक उपलब्ध करवाने पर भी क्यों कंगाल है। क्यों कर्ज से अत्म हत्या कर रहा है। विधानसभा में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया कि ५९०० से ज्यादा किसानों ने १० वर्षो में आत्महत्यायें की है। ये तो वो समंक है जो लोगों की नजरों में आ गये पर जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में किसानों ने आत्महत्यायें की होंगी दूसरा फिर न केवल कृषि विभाग बल्कि ग्राम पंचायत जनपदों जिलाधीशों और पुलिस का भी प्रयास रहता है कि ऐसे हर मामले पर लीपापोती कर दबा दे जैसा कि पाठक प्रदेश के समाचार पत्रों में पढ़ते हैं।

कार्यालय उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक/सू.का. अधि./ १८५/ २०११-१२/१३३ दिनांक ७/१/ १२

प्रति,

श्री एस.पी. अजमेरा

समय माया, २९९ अंबेडकर नगर, इंदौर

विषय - सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपका आवेदन।

संदर्भ - आपका सू.का.अधि. का पत्र क्रमांक दिनांक १५/१२/ २०११

आपके द्वारा जो जानकारियां चाही गई है उनके प्रकार एवं स्वरूप पर चिंतन करने से यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी

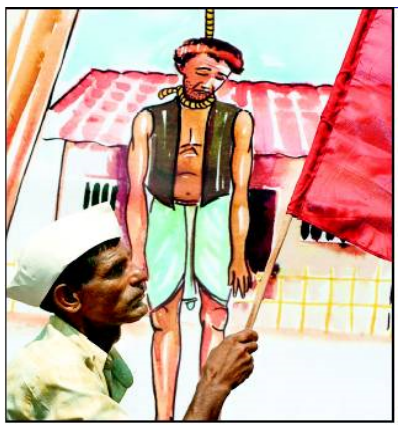

लोकहित में नहीं, बल्कि शासकीय कार्यालयों के कार्यो में बाधा पहुंचाने एवं दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु कटिबद्ध होने के दृष्टिकोण से मांगी गई प्रतीत होती है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है।

१. आपके द्वारा संपूर्ण जिले की समस्त योजनाओं की, अनेक वर्षों की, जानकारियां मांगा जाना किसी व्यापक लोकहित की ओर संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत करता है कि यह, आपके द्वारा कार्यालयों का समय नष्ट करने एवं विभागीय गतिविधियों को कुंठित करने हेतु किया गया एक प्रयास है।

२. जानकारी के विशालकाय होने का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कृषि विभाग की एक-एक योजना में हजारों कृषकों के नाम आते हैं फिर सभी योजनाओं में सभी केंद्रों में विगत अनेक वर्षों में कुल नामों की संख्या कई हजारों में होगी। इन सब सूचियों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास ना तो लोकहित में प्रतीत होता है और ना ही यह किसी अच्छी मानसिकता का परिचायक प्रतीत होता है।

३. उपरोक्त विनिश्चय में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ८सी की व्याख्या सहायक है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 'लोक सूचना अधिकारी का ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिये कि अनुरोधकर्ता का अनुरोध लोक हितकारी है या नहीं वह सूचना उपलब्ध कराये जाने की आड़ में अपने निजी व्यवसायिक वाणिज्यिक हित साध कर छदम आचरण तो नहीं कर रहा है। अनुरोध कर्ता का उद्देश्य किसी विशेष विभाग को अत्यंत जटिल कार्य में उलझाकर अकारण समय बरबाद करने और परेशान करने की निकृष्ट मानसिकता से ग्रस्त तो नहीं है। जैसे विशालकाय से वोल्यूम का पूरे के पूरे बड़े बंडलों, रजिस्टरों, प्रकरणों, पौधों का रिकार्ड मांगा जाना उनकी कापीज चाही जाना उनके निरीक्षण के लिये समय चाहा जाना आदि सामान्यत: विभागीय मदों के सहज सार्वजनिक कार्य निष्पादन में बाधक बन सकते हैं।'

४. उपरोक्त व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि आप जानकारी मांग कर उसका उपयोग अपनी वेबसाइट और अपने समाचार पत्रों में कर उनकी गति को बढ़ाना चाह रहे हैं जो कि सूचना के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत वही जानकारी दिये जाने का प्रावधान है जो लोकहित में हो, व्यवसायिक वाणिज्यिक हित साधने हेतु नहीं।

५. प्रकरण के अध्ययन में यह भी स्पष्ट होता है कि आपने कृषि विभाग की योजनाओं के संबंध में जानकारी मांगी है और आप एक पत्रकार है तथा समाचार पत्र तथा वेबसाइट चला रहे हैं ऐसे में यह विनिश्चित किया जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है किआप विभाग की किस योजना से प्रभावित हो रहे हैं। संपूर्ण योजनाओं के संपूर्ण रिकार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रतियां मांगा जाना लोकहित की मंशा स्पष्ट नहीं करता। यदि आप किसी योजना से प्रभावित होते तो वे अपने किसी ग्राम विशेष अथवा योजना विशेष की जानकारी को प्राप्त करने हेतु प्रयास करते और तब अपने प्रभावित होने की पुष्टि/ सत्यता को जानने के लिये जानकारी मांगने के प्रयास को लोकहित में माना जा सकता था, किंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

६. हालांकि सूचना के अधिकार के तहत इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है किंतु केवल आपकी मानसिकता को समझने के लिये यह काफी है कि किन्हीं भी योजनाओं से प्रभावित न होते हुए भी समस्त योजनाओं की समस्त क्षेत्रों की अनेक वर्षों की विशालकाय जानकारी मांगने का प्रयास करने का संकेत आखिर क्या होगा। यह मात्र सूचना के अधिकारों के दुरुपयोग के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता तथा इसे किन्हीं भी परिस्थितियों में सूचना के अधिकार की मूल भावना को समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता।

७. इस प्रकरण के तारतम्य में श्री एमएम अंसारी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आवेदक मिस्टर किशूर जे अग्रवाल के प्रकरण में दिये गये निर्णय को उद्धृत करना सामयिक होगा। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाहा गया था कि

पांच साल पूर्व के अतिथिगृह के खर्चों का ब्योरा कितने व्यक्ति ठहरे किस व्यक्ति के कहने से उन्हें ठहराया गया, ठहरने की अवधि, उसका खर्चा बैंक ने या अन्यथा खर्चा उठाया, किराया, स्टाफ खर्चा, गेस्ट हाउस की लाभ हानि, मासिक आधार पर डाटा दिया जाये। धर्मार्थ संस्थाओं को दिया गया दान, एनजीओ तथा अन्य दान देने की तारीख, व्यक्ति संस्थाओं का नाम हितग्राहियों का नाम, रकम जो दी गई। बैंक का लाभ मासिक आधार पर डाटा तैयार किया जाये।

कंप्यूटर्स हार्डवेअर के खर्चे, पूर्व पांच सालों में खरीदे गये कम्प्यूटरों के ब्योरे, टेंडर से या डायरेक्ट खरीद गये, खरीदने की तारीख, विवरण कितने पीस खरीदे गये। खरीदने के बिल की कापी, मासिक आधार पर वर्कशीट तैयार की जाये।

वीआरएस पर खर्चा तथा पुनर्नियुक्ति, कर्मचारियों का विवरण उनके ज्वाइन होने की तारीख, सर्विस छोड़ने की पीछे की अवधि, भुगतान जो किया गया मासिक आधार पर तैयार किया जाये।

उन कर्मचारियों के नाम सहित जिन्होंने पूर्व के पांच साल में विदेश यात्रायें की उनके जाने और आने की तारीख, पते तथा कर्मचारियों पद भंट को जाने का उद्देश्य खर्चे की रकम की तादाद बैंकों क्या लाभ हुआ व यात्रा स्वीकृति की कापी मासिक आधार पर तैयार किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह सूचना के अधिकार का दुरुपयोग है। ऐसी सूचना की जानकारी जो अपने कारोबार के हित की संकुचित दृष्टि से बैंक को अनावश्यक संकट में डालने और परेशान करने को चाही जाती है उसमें लोकहित पहुंचाने की मानसिकता नहीं रहती है।

८. आपके प्रकरण में भी लगभग यही स्थिति है। आपके द्वारा दिये गये अनेकों आवेदनों का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस प्रकार की जानकारी मांगने के आदि हैं आपके आवेदनों में लोकहित की नहीं बल्कि कार्यालयों का समय नष्ट करने की मंशा प्रतीत होती है और संभवत: सूचना के अधिकार को आपने व्यवसाय का रूप दे दिया है।

आपके सभी आवेदन लगभग इसी प्रकार के होते हैं जिनमें लोकहित की भावना नजर नहीं आती आपके द्वारा शासकीय कार्यो की गति को अनावश्यक कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है।

९. आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये गये आवेदनों की बारंबारता एवं उसमें मांगी गई जानकारियों के स्वरूप एवं प्रकार पर विचार करते हुए तथा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखा जाता है कि यदि किसी विशेष बिंदु की जानकारी चाहें तो कार्यालय में उपस्थित होकर विधिवत निर्धारित फीस जमाकर जानकारी का अवलोकन करें और अतिआवश्यक पृष्ठों की छाया प्रतियां प्राप्त करें।

शासकीय कार्यालयों की गति को अनावश्यक अवरुद्ध करने का प्रयास न करें।

8 वर्ष बाद भी नहीं है संकेतक और रिटेनिंग वॉल

पेज २ का शेष

पर न तो निगम डकैत रहेगा और न ही हरामखोर अशोका वाले करेंगे। परिणाम होगा सड़क दुर्घटनाओं मे लोगों की मौत और जब पूरी तैयारी आर डीसी के इंजीनियरों से बात की तो उनका स्पष्ट कहना था कि हमारी नहीं सुनते यह परेशानी इस मार्ग पर सन् २०३३ तक चलेगी क्योंकि डकैत निगम इन ठेके को करोड़ों रुपये डकार कर १५ वर्ष से ३० वर्ष कर दिया है। जब तक दस बीस हजार लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपनी जांन गवां चुके होंगे इस सड़क को न सिर्फ चार लेन शीघ्र बनाना चाहिए वरन २५ से ज्यादा बाइपास भी बनाना चाहिए जो आबादी के बाहर से जाएं।

अशोका विश्टकॉन की इस सड़क ने लॉटरी लगा दी रुपये ५०करोड़ शासन के रुपये ५० करोड़ स्वयं के खर्च पर हर वर्ष रुपये एक अरब से ज्यादा की कमाई की जा रही है। यही हाल इंदौर उज्जैन मार्ग का भी है। सड़क को तल से कई जगह पांच से फिट उंचा कर दिया गया है। वरन दोनो तरफ इस हरामखोर ठेकेदार ने भी वेरीकेड्स रिटेनिंग वाल खंबे नहीं लगाए हैं। इसी के चलते इस मार्ग पर दुर्घनाएं बढ़ी हैं। पर इन हरामखोरों को भी वसूली से काम है।

सड़क बनाते समय बीस हजार से भी ज्यादा पेड़ काटे गए थे। जब समय माया ने इसे प्रकाशित किया तो उस समय के तत्कालीन प्र. सं. सुलेमान आजमगढ़िया ने घोषणा की थी कि ५००००० हजार पेड़ लगाने की पर न तो बरसात के बाद भी सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए गए और न ही बीच मं कुछ समय बाद झाड़ियां लगाई गई उज्जैन संभाग के हरामखोर संभागीय प्रबंधक सूर्यवंशी से पिछले६ माह से मिलने के सारे प्रयास निरर्थक रहे।

म.प्र सड़क डकैती विकास निगम में बैठे धूर्त विवेक अग्रवाल तो लोक निर्माण विभाग का सचिव भी है पूरे प्रदेश की हर सड़क को बीओटी में बदल रहा है जबकि बीओटी किसी भी फोर लेन से कम की सड़क पर नही लगाई जा सकती परन्तु इन हरामखोरों ने रायसेन राहतगढ़ के सिंगल लेन रोड़ पर व अन्य प्रदेश की सिंगल लेन सड़कों पर अपनी लाखों रुपये प्रतिमाह की वसूली के लिए ठेकेदारों को सौंप दी ठेकेदार को मोटरेबल सड़क बना कर दी जाती है इसलिए ठेकेदार ने भी हाल रुपये १० लाख से लेकर रु २ करोड़ प्रति किमी. की घूस चटा कर पहले अपने टोल के खँबे ठोके और वसूली शुरू कर दी ये हाल प्रदेश की ५००० किमी से ज्यादा है। जिसपर वसूली तो हर तीन साल में बढ़ा दी जाती है सुविधाएं मिले न मिले जान जाए तो जाए ।

साप्ताहिक समय माया

आजादी से वर्तमान तक हुए लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनआंदोलन का वर्ष था 2011

समय माया ने शुरुआत की 1998 से जनता को समझ आया 2011 में

२०११ वर्ष बीत गया पर यह वर्ष देश की जनता के लिए कम से कम इस मायने में महत्वपूर्ण रहा कि उसकी मेहनत की कमाई को बेइंतेहा करों की दरों को बढ़ा कर पैसे वसूलते हैं। इसके बाद जनहितों विकास और समृद्धि के नाम पर अनुदान के नाम पर स्वयं कैसे लूट कर विदेशों में भेज देते हैं। कैसे स्विट्जरलैंड की बैंको मे भारत के इन सत्ताधीशों शीर्ष पर बैठे अधिकारियों उद्योगपतियों पूंजीपतियों का जो आंकड़ा सामने था वह मात्र रू ७२ अरब करोड़ का आया जबकि सच तो यह है कि अमेरिकी २०० से ज्यादा बैंको के डूबने में ही इससे कहीं ज्यादा पैसा भारत के सत्ताधीशों उद्योगपतियों का ही डूबा एक उड़ती हुई सूचना के अनुसार एक इंदौर के नेता का भी अमेरिकी बैंको में रूपये २९३० करोड़ डूबा सबसे महत्वपूर्ण यह था कि समयमाया बेशक मात्र आठ पन्ने का बड़ा ही अनियमित समाचार पत्र रहा है जब १९९८ में जनवरी में जबलपुर से शुरुआत में यह छापा गया तो सभी पाठकों नेताओं और अधिकारियों ने इसे कपोल कल्पित समझा था, तब से लगातार इन तथ्यों को प्रकाशित किया जाता रहा। यहां लाखों करोड़ों जो बजट में स्वीकृत किया जाता है। घाटे का बजट बनाया जाता है। तो केवल सत्ताधीशों शीर्ष अधिकारियों राजनीतिज्ञों उद्योगपतियों और पूंजीपतियों बड़ी ठेकेजारी फर्मों कंपनियों का पेट भरने और आमजन को आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर टैक्स बढ़ाकर लूटने के लिए तो ८०% बुद्धिजीवों को यह यथार्थ समझ में नहीं आता था जिनमें अधिकारी कर्मचारियों और नेता ही ज्यादा होते थे तो सब केवल मजाक उड़ाया करते थे बेशक अधिकांश इन तथ्यों की गहराई में जाना ही नहीं चाहते थे। जबकि हमारा उद्देश्य रहता था कि जड़ से सच को जनताके सामने रखा जाए इस संबंध में एक छोटी सी घटना प्रस्तुत करते हैं। कि एक बार आदिम जाति कल्याण मंत्री कांतिलाल भूरिया जो अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है को एक साक्षात्कार में पूछा गया कि सन २००६-०७ में केन्द्र सरकार ने रुपये ९५००० करोड़ का बजट प्रावधान किया था आखिर इतना बजट हर वर्ष के प्रावधान पिछले ६०वर्षों से आदिवासियों के लिए जनता से वसूले करों मे किया जा रहा है। आखिर कहां जा रहा है। जब जंगलों में रहने वाला आदिवासी अभी भी लंगोटी बांधकर जंगलो में दिन गुजार रहा है तो भूरिया घूरे और चिल्लाए कि अजमेरा मैने तुमसे मना किया था कि तुम कुछ मत पूछना तो मैने कहा कि इतने सारे पत्रकार भी तो जो बड़े समाचार पत्रों और चैनलों से है पूछ रहे है ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं मैने तो आपके विभाग के बारे में ही पूछा है। तब मेरी तरफ से पलट कर दूसरे पत्रकारों को जवाब देने लगे।

इन सब की चर्चा करने का उद्देश्य था कि यादि थोड़ी सी भी नजर की बारीकी से किसी भी दिशा में किसी भी विभाग की तरफ चाहे वो केन्द्रीय हो या राज्य सरकारों के चाहे वो राजस्व वसूली के हो या जन कार्यो को संपन्न करने तथा लोकनिर्माण लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग महिला बाल विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय नगर निगमों पालिकाओं मानिटरिंग करने वाले नगर एवं ग्राम निवेश खाद्य एवं औषधि मंत्रालय पुलिस आदि सभी से बैठे अधिकारी और कर्मचारियों का जहां जैसे मौका मिलता है हजारों में वसूली करता है। जितने कानून उतनी वसूली का मोटा हथियार हाल ही में आर टी ओ के बाबू रमन धुलधोए के पास चार अरब की संपत्ति उज्जैन के नगर निगम के चपरासी के पास ५० करोड़ की संपत्ति तो फिर पटवारियों नाप तौल विभाग स्वास्थ्य एवं औषधि निरीक्षकों, आबकारी, पुलिस, श्रम, गुमास्ता, खाद्य, राजस्व, उद्योग आदि जो सीधे जनता से लाखों मासिक वसूली करके आंख मीच कर तान कर सोते हैं। का अंदाज लगाया जा सकता है कि जो लाखों रु हर वर्ष मंत्री अधिकारी को अपने स्थानांतरण करने रोकने के लिए ही बातों बातों में लाखों रुपये भेंट चढ़ाते है स्वाभाविक है बड़े अधिकारी इस कार्य के लिए करोड़ों की चढ़ा कर मनचाहा कार्य करवाते हैं। मनचाही पोस्टिंग ही इसलिए ली जाती है कि ताकि दोनों हाथों से वसूली की जा सके ये सारे चपरासी लिपिकों के पास निकली करोड़ों अरबों की प्रगट हुई संपत्ति से स्वमेव सिद्ध हो जाता है छोटे इसलिए पकड़े जा सके क्योंकि उनके पास का धन विदेशों में पहुंचाने की उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं थी जबकि बड़ों जो कि राजनीतिज्ञ शीर्ष अधिकारियों पूंजीपतियों उद्योगपतियों को इसलिए नही पकड़ा जा सका क्यों कि वो तीव्रता से उस धन को देश में विनियोजित करने की अपेक्षा विदेशों में रखना ज्याद बेहतर समझते हैं। ऐसे लगातार छापों से दहशत की स्थिती तो बनी है। इसके विपरीत जो कहानी सामने आ रही है वह यह कि पूर्व का सांवेर का महाभ्रष्ट जालसाज एसडीएम पवन जैन जिसने उज्जैन इंदौर के बाइपास में दो बार रकम का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में जान बूझकर किया था भी मोटाधन देकर आरटीओ बना पर ये बाबु रमन धुलधोये उसको गिन ही नही रहा था सूत्रों के अनुसार इस छापे में भूमिका आरटीओ की ही थी ताकि दूसरा सारा स्टाफ ५०% चुकारा करता रहे। मंत्री संत्री अधिकारी अपनी वसूली के लिए ऐसे कितने ही सारे हथियारों का उपयोग करते हैं ताकि भ्रष्टाचार की नदी में नकद धन बहता रहे।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विभाग प्राधिकरण

हजारों करोड़ों खर्च योजनाएँ समय पर नहीं होती पूरी

एसई, सीई, संविदा और प्रभारी चारों तरफ लूट और भ्रष्टाचार

मप्र शासन की नर्मदा घाटी पारियोजनायें जिसमें वृहत ४९ मध्यम और २९४ लघु श्रेणी के बांध और हजारों किमी लंबी नहरों का निर्माण १९७०-८० के दशक से प्रारंभ हुआ था। जिन्हें सन २००० तक पूरा हो जाना चाहिए था। सन् २०१२ तक नहरों का कार्य न सिर्फ अधूरा रहा वरन हर योजना में १०० से १००० प्रतीशत तक लागत भी बढ़ गई। नर्मदा घाटी का भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण हर वर्ष हजारों करोड़ों उच्च नर्मदा परियोजना जबलपुर से लेकर निम्न नर्मदा परियोजना इंदौर जोन तक खर्च कर रहा है। परन्तु भ्रष्ट अभियंताओं की लेटलतीफी की और ठेकेदारों की कठपुतली बन नाच कर करोड़ों रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान भी उल्टे ही ठेकेदारों को करवा रहे हैं। फिर ठेकेदार महाशातिर होते हैं। वे मेघा पाटकर के साथ धरने आदि करवाकर वे जानबूझ कर कार्य को धीमी गति के समाचारों में तब्दील कर मंहगाई से बढ़ी हुई दरों पर सीमेंट श्रम आदि का भुगतान मांगते हैं। इसके संबंध में निम्न नर्मदा परियोजना जोन के अंतर्गत ओंकारेश्वर की बायी तट नहरों का एक मुश्त ठेका रुपये १७६ करोड़ में सन २००६ में सोम कंस्ट्रंक्शन नई दिल्ली को जिसने यह कार्य पुन: क्षेत्रीय स्तर महाभ्रष्ट ठेकेदार कर्णसिंह ग्वालियर को सौंप दिया। जिसे नवंबर ०८ में पूरा हो जाना चाहिए था। जो बाद मे बढ़कर रुपये २१२ करोड़ हो गगया। नव ०८ तक संभाग क्रं. ३२ जिसमें उस समय के तत्कालीन का.अ. इंग्ले बैठा था जिसे जल संसाधन में भारी जालसाजी और भ्रष्टाचार का इतिहास था यहां बैठा दिया गया जिसने सारे नियमों को ताक पर रख कर काली चिकनी मिट्टी से नहरों की भरवाई करवाई जिसमे एक बरसात में १से डेढ़ फुट चौड़ी और आठ से दस फुट गहरी लंबी दरारें पढ़ गई थी। जहां पर पीली मिट्टी भरी जानी चाहिए थी नव तक कार्य ४०% भी पूरा नहीं हुआ था। सन् २०१२ शुरू हो चुका है। अभी भी कार्य रेल्वे लाईन के कारण अधूरा है। अर्थात चार वर्ष में लागत डेढ़ गुना हो गई। अभी भी दायी तट नहर का कार्य और बायी तट नहर का कार्य अधूरा है। ये नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार प्राधिकरण के मंत्री का ही भ्रष्टाचार और एक मुश्त धन डकारने का नायाम नमूना था। कि जब ५-१० करोड़ रुपये के कार्य समय पर नहीं होते सैंकड़ों करोड़ रुपये के कार्य कैसे समय पर पूरे हो जाएंगे। सन् २००७ में भी चुनाव के पूर्व रु. २३०० के ठेके उपरी नर्मदा परियोजनाओं मे आनन फानन मे स्वीकृत कर तत्काल ही ठेकेदारों को १०% मशीनरी अग्रिम और पांच प्रतीशत कार्यशील पूंजी अग्रिम देकर अपना कमीशन बटोर लिया था। वो उन अधिकांश कार्यो में भी ठेकेदार से धन डकार कर भी कार्य पूर्ण नहीं किये फिर न. धा. वि. प्रा. में बैठे मंत्री क.ला. अग्रवाल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण भी चुन चुन कर चारों तरफ भ्रष्ट नकारा इंजीनियरों को ही बैठाती है। संक्र ३२ बड़वाह में बैठा निहोरे न केवल भारी ब्योड़ा है। वरन साइट का नाम लेकर अधिकांश समय सुरापान कर घर में पड़ा रहता है। ठेकेदारों को भी ऐसे ही अधिकारी चाहिए।

(शेष पृष्ठ १० पर)

भाजपा की युवा पीढ़ी के साथ जालसाजी

उम्र 62 बढ़ाकर करेंगे युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट

भविष्य में ऐसा न हो, सरकारी विभागों में कर्मचारी ही न मिले। शीघ्र करें हर विभाग में भर्तियां, 1 लाख भर्तियों से 10 लाख वोट बढ़ेंगे

म.प्र. के हर विभाग में पिछले २० वर्षों से सभी पदों पर परीक्षाओं से भर्तियां नहीं की गई, जबकि हर वर्ष ५ से १०% तक कर्मचारी सेवानिवृत्त, मृत्यु, ऐच्छिक अवकाश लेकर शासकीय नौकरियां त्याग रहे हैं। यह ठोस तथ्य सरकार न केवल बेहतर तरीके से जानती है वरन २० वर्ष में शासकीय विभागों में न केवल बढ़ोतरी हुई वरन कुछ में कार्य तिगुने से ५ गुना तक हो गया, अधिकांश विभागों में कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिये कर्मचारी-अधिकारीगण अपनी जेब से पैसा खर्चकर एवजियों को बैठाने के लिये मजबूर है। जब अधिकारी-कर्मचारी कार्यों को पूरा करने के लिये जेब से वेतन देंगे तो कहां से, स्वाभाविक है भ्रष्टाचार से वसूली कर एवजियों का वेतन बांटा जायेगा, दूसरी यह स्थिति अधिकांश शासकीय विभागों की है, चाहे वे प्रदेश के जिलाधीश कार्यालय हो या प्रदेश के १०० से ज्यादा अन्य शासकीय कार्यालय अर्थात ५० जिलों के ५००० कार्यालय जहां औसतन १०-२० बाबुओं की लिपिकीय कार्य करने के लिये तत्काल आवश्यकता है, इस कार्य विभागों जिसमें लो निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकीय विभागों में हर जिला व संभागीय स्तर पर १० से २० उपयंत्रियों की अर्थात ५० जिलों में लगभग ४०० उपयंत्रियों की तत्काल आवश्यकता ४ विभागों में है। १००० से ज्यादा सहा. यंत्रियों की इन चारों विभागों में आवश्यकता है। जबकि लाखों इंजीनियर म.प्र. में बेरोजगार घूम रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक तरफ डॉक्टरों की कमी, मेडिकल पेरा स्टॉफ, जिसमें कंपाउंडर्स से लेकर वार्ड बाय, स्त्री-पुरुष नर्सों की भी भारी कमी है। आये दिन सरकारी चिकित्सालयों में इन तथ्यों को लेकर लड़ाई झगड़े और समाचार पत्रों में समाचार छपते रहते हैं। म.प्र. शासन की डायरी के अनुसार ११५५ प्राथमिक स्वा. केन्द्र, ८८६० उप स्वा. केन्द्र है। अर्थात १०,००० स्वा. केन्द्रों में १-१ कंपाउण्डर, पेरामेडिकल स्टॉफ, वार्ड बाय और नर्सों की आवश्यकता है। अर्थात ३०,००० कर्मचारियों की आवश्यकता है।

खनिज, वाणिज्यकर, श्रम, राजस्व, उद्योग पंचायत, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक खाद्य औषधि आदि जिन विभागों में निरीक्षक होते हैं। आवश्यकता के और स्वीकृत संख्या के आधे से भी कम है। अर्थात विभिन्न २५ से ज्यादा विभागों में पूरे प्रदेश में १०० से ज़्यादा निरीक्षकों की कमी है। यदि खाद्य एवं औषधि विभाग में ही अगर १ लाख की आबादी पर १ खाद्य निरीक्षक और १ औषधि निरीक्षक होना चाहिए तो म.प्र. में मात्र १९६ खाद्य निरीक्षक है जिसमें १५ निलंबित हैं। औषधि निरीक्षक लगभग ५० हैं। जबकि कम से कम ६०० होना चाहिए ताकि नियमित रूप से खाद्य एवं औषधि विक्रेताओं, उत्पादकों, पेकर्स की जांच महीने में एक बार कर सके। उसी प्रकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में १ लाख की आबादी पर एक निरीक्षक होना चाहिए में ७०० निरीक्षक चाहिए ये जिसमें मात्र २५० से ज्यादा नहीं है जबकि राशन दुकानों, गैस, डीजल, पेट्रोल अन्य नागरिक आपूर्ति की वस्तुओं की सतत आपूर्ति और गुणवत्ता देखना इनका ही काम है। अर्थात ५००० निरीक्षक विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में चाहिये। यही हाल अधिकांश विभागों का है। जिनमें अधिकारियों, कर्मचारियों, कम्प्यूटर आपरेटर्स, मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लगभग १०० विभागों में ५० जिलों में औसतन ५० अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है अर्थात ढाई से तीन लाख कर्मचारी अधिकारियों की वर्तमान आवश्यकता को अगर भाजपा सरकार १ वर्ष में पूरा कर लेती है तो उसके २५ से ५० लाख वोट अगले मिशन २०१३ के लिये पक्के हो जायेंगे। इसके विपरीत सरकार वर्तमान कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर ६० से ६२ वर्ष कर न केवल कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ उन्हें अंतिम दम तक निचोड़ने, घसीटने का षड्यंत्र रच रही है। जबकि उन्हें न तो समय से पदोन्नतियां दी गई हैं, जिससे अधिकांश कर्मचारी अधिकारी अपनी सेवाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। जब ६२ वर्ष की सेवानिवृत्ति के समाचार दैनिकों में छपे तो कई अधिकारियों-कर्मचारियों को श्री अजमेरा ने बधाई दी तो उल्टे ही उनका उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा कि क्या सरकार हमारे प्राण लेगी, कर्मचारियों-अधिकारियों की भारी कमी होने के कारण दुगुना-तिगुना काम का बोझ, फिर सारे दिन वे जानकारी, वो जानकारी ५-६ दिन के सप्ताह में हरदिन ये मीटिंग, वो मीटिंग, फिर मैदानी काम भी करना है, हर काम,हर अधिकारी को समय पर, न्यायालयीन प्रकरण क्या करें आत्महत्या कर लें। बेहतर है कि सरकार ६० की सेवानिवृत्ति की उम्र ६२ की बजाय ५५ कर दें। इन सबसे भारी मानसिक तनाव से कितनी बीमारियां हो चुकी हैं कि काम की तो क्या जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। हमें तो सरकार सेवानिवृत्ति ६० पर दे दे अन्यथा हम ऐच्छिक अवकाश ले लेंगे। बेहतर ये ही होगा कि जिन २-५% लोगों को नौकरी इतनी परेशानियों के बाद भी करने का शौक है वो करें, परन्तु युवाओं के साथ जो छल भाजका कर रही है कि उन्हें जिन्हें पढ़ने-लिखने के बाद नौकरी चाहिये उन्हें नौकरी देकर युवा अधिकारियों, कर्मचारियों, निरीक्षकों, मैदानी क्षेत्रों में कार्यशील स्टॉफ को नियुक्त करें। हमारे २५-३० वर्ष के, हमारे सामने बेरोजगार रहें, हमें घोर मानसिक पीड़ा होती है, दूसरी तरफ हमारे पढ़े-लिखे बेटा-बेटी बेरोजगार होने के कारण हमारे सामने आना पसंद नहीं करते। कब तक घर में बैठे जवान बेटे-बेटियों का बोझ उठायें, शादी कर बेटियां भी अपने ससुराल जाना नहीं चाहती उनका सपना भी है कि इतनी पढ़ाई-लिखाई की है,तो कोई अच्छी नौकरी की जाये ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सरकार को बस हमारी पेंशन और ग्रेच्युटी का बोझ दिख रहा है। २ वर्ष बाद भी हमें रिटायर करेंगी तब भी तो भुगतान करना ही पड़ेगा, बेहतर है ६० में ही सेवा निवृत्ति दे दें, ताकि शांति से ५-१० वर्ष घर में गुजार सके। म.प्र. २००९ तक रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार युवाओं की संख्या ४,२२ हजार थी जो बढ़कर २०१० में १९,४०,००० हो चुके थे। निष्कर्ष में सरकार को विभिन्न विभागों में कम से कम २ लाख से ज्यादा लिपिककीय वर्ग का विज्ञापन जारी कर अब १२ तक व अन्य सभी वर्गों में आवश्यक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, निरीक्षक, अधिकारियों में लगभग १ लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देकर अपना वोट बैंक पक्का करना चाहिये, जो ६० वर्ष के हो चुके हैं। उन्हें समय पर सेवानिवृत्ति दे दी जाना चाहिए, छल-कपट कर एक तरफ अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति ६२ वर्ष कर आह न ले दूसरी तरफ पढ़े-लिखे युवाओं जो बेरोजगार हैं, उनकी भी आह न लें। विश्व व्यापार संगठन की नौटंकी का षड्यंत्र रचने वाले स्वयं मंदी और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। चाहे वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे विकसित देश ही क्यों न हो।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803